

# सर्व शिक्षा अभियान 2002-2007

जनपद-मरु

## अनुक्रमणिका

क्रमसं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जनपद का परिदृश्य	1-7
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	8-26
3.	नियोजन प्रक्रिया	27-46
4.	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	47-53
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	54-64
6.	शिक्षा में पहुँच का विस्तार (औपचारिक शिक्षा)	65-72
7.	शिक्षा में पहुँच का विस्तार	73-84
8.	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	85-108
9.	गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्यक्रम	109-169
10.	परियोजना क्रियान्वयक एवं अनुश्रवण	170-190
11.	परियोजना लागत	191-195

## अध्याय-1

### जनपद का परिदृश्य

परिचय एवं भौगोलिक स्थिति:-

जनपद-मऊ का निर्माण सन् 1988 में आजमगढ़ के आठ विकास खण्ड तथा जनपद बलिया के एक विकास खण्ड को लेकर हुआ था। यह जनपद 25°47' से 26°17' उत्तरी अक्षांश एवं 83°17' से 84°52' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। धाघरा और गंगा नदियों के बीच अवस्थित जनपद-मऊ के पूरब में जनपद बलिया, पश्चिम में आजमगढ़, उत्तर में गोरखपुर तथा दक्षिण में गाजीपुर जनपद स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 1727.23 वर्ग किमी० तथा आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 1445782 है। जिसमें पुरुष 732487 एवं महिलायें 713295 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 318965 तथा अनुसूचित जन जाति की संख्या 52 है। जनपद में 0 से 6 वर्ष की कुल जनसंख्या 1991 के जनगणना के अनुसार 311299 है जो कुल जनसंख्या का 21.53 प्रतिशत है।

#### सरिणी-1

क्रम०	विवरण	पुरुष	महिला	योग	प्रतिशत
1.	कुल	732487	713295	1445782	-
2.	अनु०जाति	160737	158288	318965	22.06
3.	अनु०जनजाति	27	25	52	0035

स्रोत-सांख्यिकी पत्रिका 1998

2001 की जनगणना के अनुसार मऊ की जनसंख्या निम्न है।

कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	लिंगानुपात -	जनसंख्या घनत्व	प्रतिशत वृद्धि दर
1849294	932142	917152	984	1180	27.91

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

जनपद—मऊ का नाम मऊनाथ भंजन के नाम पर पड़ा है इसके नामकरण के पीछे विभिन्न मत है। इतिहासकारों का मानना है कि 1340 से 1345 के मध्य में शेरशाह शूरी ने इस स्थान का भ्रमण किया था। उस समय यहां घना जंगल था। शेरशाह ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहां सैनिक छावनी बनवायी। शाहजहां की लड़की चमन आरा ने जनपद के मुहल्ला कटरा में शाही मस्जिद का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि मुगल सैनिकों ने तुर्की, ईसाई, अफगानी, कुशल कारीगरों की मदद से इस मस्जिद का निर्माण कराया था और बड़ी संख्या में जुलाहे यहां आकर बस गये तथा इसको बुनाई केन्द्र के रूप में विकसित किये।

जनपद—मऊ साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए सुप्रसिद्ध है फतेहपुर मण्डाव विकास खण्ड में तालरतोय के किनारे परहेजी बाबा की मजार है, जहां पर हजारों की संख्या में हिन्दू, मुस्लिम जन पूजा इबादत के लिए आते हैं। तहसील मधुवन में स्थित कोलहुआवन में मिर्जाबाबा का मजार ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है। लगभग चार सौ वर्ष पूर्व विकास खण्ड कोपागंज में राजा पिथौरागढ़ द्वारा निर्मित मस्जिद इस जनपद को ऐतिहासिक धरोहर है। विकास खण्ड परदहा में हिन्दुओं का पवित्र स्थल बनदेवी मंदिर है। बन विभाग की तरफ से इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर अवस्थित गुलाब पार्क भी अत्यन्त रमणीक है। विकास खण्ड रतनपुरा में कुण्डवा मानिकपुर ग्राम अवस्थित कामरेड शाहिद—मुखर्जी की समाधि जनपद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है।

## कृषि एवं उद्योग :

जनपद—मऊ घाघरा और गंगा के द्वाबा में स्थित होने के कारण यहां की मिट्टी आंशिक रूप से बलुई एवं दोमट है। भूमि का अधिकांश भाग कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। यहां पर सब्जी, खरीफ एवं जायद की फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है। कृषि यहां का मुख्य व्यवसाय है। थोड़े से भू-भाग पर वन आच्छादित है। जनपद का तापमान 11 से 43 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी माना जाता है। कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी किया जाता है।

जनपद—मऊ में हथकरघा उद्योग सुप्रसिद्ध है। हथकरघे से निर्मित जरी साडियों का प्रयोग प्रदेश के साथ-साथ देश एवं विदेश में किया जाता है। हथकरघा उद्योग कुटीर

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

जनपद—मऊ का नाम मऊनाथ भंजन के नाम पर पड़ा है इसके नामकरण के पीछे विभिन्न मत है। इतिहासकारों का मानना है कि 1340 से 1345 के मध्य में शेरशाह शूरी ने इस स्थान का भ्रमण किया था। उस समय यहां घना जंगल था। शेरशाह ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहां सैनिक छावनी बनवायी। शाहजहां की लड़की चमन आरा ने जनपद के मुहल्ला कटरा में शाही मस्जिद का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि मुगल सैनिकों ने तुर्की, ईसाई, अफगानी, कुशल कारीगरों की मदद से इस मस्जिद का निर्माण कराया था और बड़ी संख्या में जुलाहे यहां आकर बस गये तथा इसको बुनाई केन्द्र के रूप में विकसित किये।

जनपद—मऊ साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए सुप्रसिद्ध है फतेहपुर मण्डांव विकास खण्ड में तालरतोय के किनारे परहेजी बाबा की मजार है, जहां पर हजारों की संख्या में हिन्दू मुस्लिम जन पूजा इबादत के लिए आते हैं। तहसील मधुबन में स्थित कोलहुआवन में मिर्जाबाबा का मजार ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है। लगभग चार सौ वर्ष पूर्व विकास खण्ड कोपागंज में राजा पिथौरागढ़ द्वारा निर्मित मस्जिद इस जनपद को ऐतिहासिक धरोहर है। विकास खण्ड परदहा में हिन्दुओं का पवित्र स्थल बनदेवी मंदिर है। बन विभाग की तरफ से इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर अवस्थित गुलाब पार्क भी अत्यन्त रमणीक है। विकास खण्ड रतनपुरा में कुण्डवा मानिकपुर ग्राम अवस्थित कामरेड शाहिद मुखर्जी की समाधि जनपद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है।

## कृषि एवं उद्योग :

जनपद—मऊ घाघरा और गंगा के द्वाबा में स्थित होने के कारण यहां की मिट्टी आंशिक रूप से बलुई एवं दोमट है। भूमि का अधिकांश भाग कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। यहां पर रबी, खरीफ एवं जायद की फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। कृषि यहां का मुख्य व्यवसाय है। थोड़े से भू-भाग पर वन आच्छादित है। जनपद का तापमान 11 से 43 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी माना जाता है। कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी किया जाता है।

जनपद—मऊ में हथकरघा उद्योग सुप्रसिद्ध है। हथकरघे से निर्मित जरी साड़ियों का प्रयोग प्रदेश के साथ-साथ देश एवं विदेश में किया जाता है। हथकरघा उद्योग कुटीर

जनपद—मऊ में हथकरघा उद्योग सुप्रसिद्ध है। हथकरघे से निर्मित जरी साड़ियों का प्रयोग प्रदेश के साथ-साथ देश एवं विदेश में किया जाता है। हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित है। जो आज कल आधुनिक मशीनों एवं साज-सज्जा के द्वारा उद्योग के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर कपड़े की दो मिलें हैं स्वदेशी काटन मिल एवं राजकीय कताई मिल उत्तम कोटि के धागे के लिए प्रसिद्ध है। सूती कपड़े के साथ-साथ रेशमी साड़ियों, कपड़े, कालीन, दरी, कारपेट आदि का निर्माण होता है। जनपद की साड़ियाँ विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं।

जनपद में वस्त्र उद्योग के साथ-साथ चीनी उद्योग, जरी उद्योग एवं अल्कोहल उद्योग है। जनपद—मऊ के घोसी तहसील में चीनी मिल है। जरी का काम लगभग प्रत्येक घर में कुटीर उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। जो लोगों के जीविकोपार्जन का साधन है।

#### शैक्षिक परिदृश्य :

जनपद—मऊ की भौगोलिक स्थिति अन्तर विषमताओं से भरा पडा है। जो शिक्षा की प्रगति पर विशेष प्रभाव डालती है जनपद की साक्षरता दर 1991 की जनगणना के अनुसार 43.8 प्रतिशत है। जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 27.9 है जो पुरुषों की अपेक्षा कम है। क्षेत्रवार विवरण देखने से ज्ञात होता है कि बड़राव एवं रतनपुरा विकास खण्ड की साक्षरता दर अत्यन्त न्यून है जिसमें महिलाओं की साक्षरता अत्यन्त अल्प है। इसका मुख्य कारण भौगोलिक स्थिति है। उक्त विकास खण्डों के दूर दराज अंचल में स्थित है जहां पर यातायात एवं मार्ग की सुलभ सहज नहीं है। साथ ही बरसात के दिनों में तमसा एवं घाघरा नदी लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती है।

## प्रशासनिक इकाई :

प्रशासन की व्यवस्था के दृष्टिकोण जनपद-मऊ 04 तहसील 09 ब्लाक 92 न्याय पंचायत एवं 598 ग्राम पंचायत एवं 1644 राजस्व ग्राम में विभक्त है। एक नगरपालिका 6 नगर पंचायत एवं 2 सेन्सस टाउन है। जिसे निम्नलिखित सारणी 1:2 में प्रदर्शित किया गया है।

### सारणी-1:2 प्रशासनिक संरचना

क्रसं०	प्रशासनिक इकाई	संख्या
1.	तहसील	04
2.	विकास खण्ड	09
3.	न्याय पंचायत	92
4.	ग्राम पंचायत	598
5.	राजस्व ग्राम	1644
6.	बस्तियां/राजस्व ग्राम	1472
नगरीय क्षेत्र		
1.	नगर निगम	-
2.	नगर महापालिका	-
3.	नगर पालिका	01
4.	नगर पंचायत	06
5.	सेन्सन टाउन	02
6.	नगर पालिका-मऊ	28 वार्ड
7.	मुहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत	13 वार्ड
8.	कोपागंज के दो नगर पंचायत	26 वार्ड
9.	घोसी नगर पंचायत	17 वार्ड
10.	दोहरौ घाट नगर पंचायत	10 वार्ड
11.	अमिला नगर पंचायत	10 वार्ड
	योग	104 वार्ड

विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है

सारणी-1-3

प्रशासनिक संरचना

क्रसे0	विकास खण्ड का नाम	न्यायपंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	दोहरीघाट	9	66	167
2.	फतेहपुर मण्डांव	13	75	216
3.	घोसी	9	59	165
4.	बडरांव	9	64	151
5.	कोपागंज	10	66	143
6.	परदहां	8	48	131, 41 ग्राम नगर क्षेत्र में स्थाना0
7.	रतनपुरा	11	67	174
8.	मुहम्मदाबाद	10	72	204
9.	रानीपुर	13	81	293
	योग	92	598	1644.00

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1998 :

1991की जनगणना के बाद परदहां विकास खण्ड के 41 ग्राम नगर पालिका में आ गये हैं जनपद में 172 राजस्व ग्राम गैर आवाद है। जनपद में एक नगर पालिका एवं उसमें 28 वार्ड है अन्य छोटी नगर पंचायतें विभिन्न विकास खण्डों में स्थापित है। जनपद में 6 नगर पंचायतें एवं 2 सेन्सन टाउन है। नगर पंचायतें क्रमशः घोसी, दोहरीघाट, अमिला, कोपागंज, अदरी, मुहम्मदाबाद गोहना है तथा कुर्थीजाफरपुर एवं खैराबाद सेन्सन नगर है।

जनसंख्या :

1991की जनगणना के अनुसार मऊ जनपद की जनसंख्या 1445782 है तथा प्रति दशक वृद्धि दर 26 प्रतिशत है। वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 1821686 अनुमानित है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 83.12 प्रतिशत है तथा नगरीय जनसंख्या 16.88 प्रतिशत कुल जनसंख्या में पुरुष तथा महिला का प्रतिशत क्रमशः 50.66 एवं 49.34 है। अनुसूचित जाति की आवादी 22.06 प्रतिशत है। इसका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है।

सारणी-1-4

जनसंख्या विवरण

क्र सं०	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	दोहरीघाट	64696	63976	128672	81517	80610	162127
2.	फतेहपुर मण्डांव	75709	75559	151268	95393	95204	190597
3.	घोसी	52947	52011	104958	66713	65534	132247
4.	वडरांव	63158	64719	127877	79579	81546	161125
5.	कोपागंज	71733	68933	140666	90384	86856	177240
6.	परदहां	66164	61678	127842	83367	77714	161081
7.	रतनपुरा	61392	59599	120991	77354	75095	152449
8.	मुहम्मदाबाद	72553	72713	145266	91417	91618	183035
9.	रानीपुर	77861	76386	154247	98105	96246	194351
	योग ग्रामीण	606213	595574	1201787	763828	750423	1514251
	नगर क्षेत्र	126274	117721	243995	159105	148328	307433
	महायोग	732487	713295	1445782	922934	898752	1821686



2001 की जनसंख्या 26 प्रतिशत वृद्धि दर पर आधारित विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है।

सारणी-1.5

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या

क्र सं०	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	दोहरीघाट	16127	15957	32084	20320	20106	40426
2.	फतेहपुर मण्डांव	15665	15815	31480	19738	19927	39665
3.	घोसी	12158	12194	24352	15320	15364	30684
4.	वडरांव	12842	13476	26318	16181	16980	33161
5.	कोपागंज	16983	16237	33220	21399	20459	41858
6.	परदहां	19532	18293	37825	24610	23049	47659
7.	रतनपुरा	13039	12523	25562	16429	15780	32209
8.	मुहम्मदाबाद	20935	21294	42229	26378	26830	53208
9.	रानीपुर	23658	23568	47226	29810	29696	59506
	योग ग्रामीण	150939	149357	300296	190185	188190	378376
	नगर क्षेत्र	9798	8871	18669	12346	11177	23523
	महायोग	160737	158228	318965	202531	199368	401899

स्रोत-सांख्यिकी पत्रिका 1998

(2001 की जनसंख्या 26 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर के अधार पर अनुमानित)

## अध्याय-2

### जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद-मऊ में अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-III) परियोजना चल रही है। जिसमें शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि, प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये हैं। इस परियोजना में सभी वर्गों का शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव व गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना 6-11 वय वर्ग के बच्चों को आच्छादित करती है। जब कि सर्व शिक्षा अभियान 6-14 वय वर्ग के बच्चों को अच्छादित करती है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन लगभग शत प्रतिशत हो गया है। किन्तु ठहराव की समस्या अभी तक बनी हुई है। साथ में उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ उनका ठहराव एवं गुणवत्त परक शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान में विशेष जोर दिया जायेगा।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 43.8 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 59.4 तथा स्त्री साक्षरता दर 27.9 है। जनपद-मऊ का साक्षरता सम्बन्धी विवरण सारणी 2.1 में तथा विकास खण्ड वार विवरण सारणी 2.2 में दिया गया है।

#### सारिणी 2.1

कुल साक्षरता	43%
ग्रामीण साक्षरता	40.3%
नगरीय साक्षरता	61.3%
कुल पुरुष साक्षरता	59.4%
कुल महिला साक्षरता	27.9%
नगरीय पुरुष साक्षरता	71.8%
नगरीय महिला साक्षरता	49.9%
कुल ग्रामीण पुरुष साक्षरता	56.6%
कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	23.6%

## सारणी 2.2

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर

कुल साक्षरता	64.86
पुरुष साक्षरता	78.97
महिला साक्षरता	50.86
जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर निम्न है।	
कुल साक्षरता	57.36
पुरुष साक्षरता	70.23
महिला साक्षरता	42.98

उपरोक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद की साक्षरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। किन्तु शतप्रतिशत साक्षरता हेतु विशेष प्रयास डी.पी.ई.पी. योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया जा रहा है।

## सारणी 2.3

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता का प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग
1.	दोहरीघाट	59.2	23.2	41.8
2.	घोसी	58.0	25.0	41.6
3.	फतहपुर मण्डाव	59.5	26.5	42.9
4.	बड़रांव	52.9	20.8	38.9
5.	कोमागंज	54.3	22.8	38.9
6.	फरदहा	54.3	22.5	38.9
7.	भूतनपुरा	57.5	22.2	40.1
8.	मुहम्मदाबाद गोहना	56.3	23.8	39.9
9.	क्षानीपुर	59.1	24.7	41.9
	योग— ग्रामीण	56.8	23.8	40.3
	नगरीय	71.8	49.9	61.3
	योग— जनपद	59.4	27.9	43.8

स्रोत:— सांख्यिकी पत्रिका 1998

नोट:—वर्ष 2001 की जनगणना की विकास खण्ड नगर क्षेत्रवार साक्षरता का विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है। 1991 की साक्षरता का प्रतिशत 7 + से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

विकास खण्डों में सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड बड़रांव 38.9% कोपागंज 38.9% एवं परदहा 38.9% है। जबकि अधिक साक्षरता फतहपुर मण्डाव 42.9% है। महिला साक्षरता दर सबसे कम बड़रांव 20.8% एवं रतनपुरा 22.2% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर फतहपुर मण्डाव में 26.5% है।

### शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मऊ से प्राप्त सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार वर्ष-1997-98 में मऊ जनपद में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता 69.5 थी। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता प्रति लाख जनसंख्या पर 7.23 थी। इससे स्पष्ट है कि आबादी के अनुसार प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की बहुत अधिक आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 2003-04 में कुल 18 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 120 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुले गये हैं।

जनपद-मऊ में स्थित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का संख्यात्मक विवरण सारणी 2.4 में निम्नवत् है:-

सारणी 2.4 शैक्षिक संस्थाएं

क्र.सं.	शैक्षिक सुविधा	परिषदीय/शासकीय विद्यालय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्राथमिक विद्यालय	909	39	948	475	20	495	1384	59	1443	95	5	100
2.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	—	—	—	06	01	07	06	01	07			
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	246	10	256	86	12	98	332	22	354			
4.	माध्यमिक से सम्बद्ध उच्च विद्यालय	02	01	03	65	08	73	67	09	76			
5.	केन्द्रीय विद्यालय	01	—	01	—	—	—	01	—	01			
6.	नवोदय विद्यालय	01		01	—	—	—	01	—	01			
7.	बाईस्कूल	—	01	01	57	03	60	57	04	61			
8.	इण्टरमीडिएट कालेज	—	—	—	08	05	13	08	05	13			
9.	डिग्री कालेज	—	01	01	05	01	06	05	02	07	01	—	01
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	—	01	01	—	—	—	—	01	01	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	तकनीकी संस्थान	—	01	01	—	—	—	—	01	01	—	—	—
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	845	—	845	—	—	—	845	845	—	—	—	—
15.	मकतब मदरसे	—	15	15	44	05	49	44	20	64	—	—	—
16.	संस्कृत पाठशालायें	03	02	05	04	—	04	07	02	09	—	—	—
17.	अन्ध एवं विकलांग विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	—	01	01	—	—	—	—	01	01	—	—	—
19.	बी०आर०सी०	09	—	09	—	—	—	09	—	09	—	—	—
20.	एन०पी०आर०सी०	92	—	92	—	—	—	92	—	92	—	—	—
21.	बल श्रम विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

सारणी 2.3 के अनुसार प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय को जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाय तो प्रति परिषदीय प्रा०वि० 1.85 वर्ग कि०मी० और प्रति परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय 16.2 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 1554 की जनसंख्या पर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और 13639 की जनसंख्या पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है।

सारणी 2.5

31.7.2003 की स्थिति के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता।

विद्यालय	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	3239	3017	222	692
परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय	990	370	620	

स्रोत:—विभागीय आंकड़े।

बस्तियों में विद्यालय सुविधा

विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या को देखते हुए यह बात उभर कर सामने आती है कि जनपद में निर्धारित मानक (300 आबादी और 1.5 किमी०दूरी) पूरा करने वाली बस्तियों में औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए ई०जी०एस०, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अथवा अन्य प्रकार के केन्द्रों के आवश्यकता की पूर्ति की गयी है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों का विवरण तथा दूरी के अनुसार विद्यालयी सुविधा उपलब्ध बस्तियों की संख्या निम्नवत है :-

सारणी 2.6

सेवित तथा असेवित बस्तियां (प्राथमिक विद्यालय हेतु)

विवरण	1 कि०मी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि०मी० से अधिक कि०मी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि०मी० से अधिक की दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	372	270	0
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है	322	180	0

नोट:— वर्ष 2003-04 में 18 नवीन प्राथमिक विद्यालयों सर्व शिक्षा अभियान से खुल गये हैं। जिसको उपरोक्त सारणी में सम्मिलित कर लिया गया है।

सारणी 2.7

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 कि०मी०- से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	3 कि०मी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय/ ए०आई ०ई०
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	737	0	0
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	789	0	0

नोट:- 27 बस्तियों में ए०आई०ई० केन्द्र सम्मिलित है संख्या उपरोक्त में ले लिया गया है। साथ में 99 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2003-04 में स्वीकृत किया गया है। जिसको उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में सम्मिलित कर दिया गया है।



सारिणी 2.8

सेवित एवं असेवित बस्तियाँ

ऐसे ग्रामों/बस्ती की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है

विकास खण्ड का नाम	1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी० से अधिक किन्तु 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित वैकल्पिक केन्द्र
दोहरी घाट	86	20	0	0
फतहपुर मण्डाव	87	40	0	0
घोसी	85	29	0	0
बड़रौव	111	14	0	0
कोपागंज	67	36	0	0
परदहा	58	7	0	0
रतनपुरा	79	45	0	0
मुहम्मदाबाद	102	28	0	0
रानीपुर	158	36	0	0
योग	833	255	0	0
नगर क्षेत्र	39	15	0	0
महायोग	872	270	0	0

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में और नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।

सारणी 2.9

प्राथमिक विद्यालय स्तर

क्र. सं.	विकास खण्ड	कुल विद्यालयों की संख्या	भवनहीन / जर्जर का पुनर्निर्माण	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय या उससे ऊपर	मरम्मत योग्य		शौचालय विहीन	हैण्ड पम्प विहीन
									लघु	दीर्घ		
1.	दोहरी घाट	106	7		78	25	—	3	3	2	5	
2.	फतहपुर मण्डाव	125	4		90	20	10	5	9	9		
3.	घोसी	111	9		92	10	7	2	37	12	0	
4.	बड़रौव	99	13		87	9	2	1	4	5	12	19
5.	कोपागंज	80	10		61	9	5	5	14	1	1	1
6.	परदहा	56	1		46	7	2	1	1	2	5	
7.	रतनपुरा	110	9		86	12	5	2	28	17	7	7
8.	मुहम्मदाबाद	99	1		86	10	—	3	4	3	4	
9.	रानीपुर	123	12		103	15	4	1	35	15	12	7
10.	नगर क्षेत्र	39	—	11	11	12	4	1		3		
	योग	948	66	11	740	134	39	24	135	64	69	34

नोट:—वर्ष 2003-2004 में 18 नवीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। जो कुल विद्यालय संख्या में सम्मिलित हैं।

सारणी 2.10

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर

क्र. सं.	विकास खण्ड	कुल विद्यालयों की संख्या	भवनहीन / जर्जर का पुनर्निर्माण	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय या उससे ऊपर	मरम्मत योग्य		शौचालय विहीन	हैंड पम्प विहीन
									लघु	दीर्घ		
1.	दोहरी घाट	26	1				25	1	3	2		1
2.	फतहपुर मण्डाव	30	2				30		4	5	5	
3.	घोसी	30	2				29	1	4	5	5	
4.	बड़रॉव	27	2				26	1		4	4	
5.	कोपागंज	29	2				29		3	1	5	
6.	परदहा	14	2		1		13		1	2		1
7.	रतनपुरा	22	2				22		4	4		4
8.	मुहम्मदाबाद	33	2				32	1		4	0	
9.	रानीपुर	36	2				36		2		1	
10.	नगर क्षेत्र	9		1		2	5		2			
	योग	256	17	1	1	2	247	5	23	27	20	6

नामांकन :-

### प्राथमिक स्तर (6 से 11 वय वर्ग)-

मई 2003 के हाऊस होल्ड सर्वे के अनुसार जनपद मऊ में 6 से 11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 308827 है। जिसमें 162172 लड़के तथा 146725 लड़कियाँ हैं।

6 से 11 वय वर्ग के प्राथमिक स्तर के 159256 बालक 143497 बालिकाएँ कुल 302753 बच्चें विद्यालय जाते हैं। तथा 2916 बालक तथा 3228 बालिका कुल 6144 बच्चें स्कूल नहीं जाते हैं। इन बच्चों में से विभिन्न कक्षाओं में 1515 बालकों तथा 2562 बालिकाओं को अगस्त 2003 तक नामांकित कराया जा चुका है। शेष 1401 बालक 666 बालिकाओं कुल 2067 बच्चों को वर्ष 2003-04 में ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक केन्द्र के माध्यम से दिसम्बर तक नामांकित करा दिया जायेगा।

### उच्च प्राथमिक स्तर (11 से 14 वय वर्ग)-

मई 2003 के हाऊस होल्ड सर्वे के अनुसार जनपद मऊ में 11 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 138484 है। जिसमें 74296 लड़के तथा 64188 लड़कियाँ हैं।

11 से 14 वय वर्ग के उच्च प्राथमिक स्तर के 71117 बालक 61885 बालिकाएँ कुल 133002 बच्चें विद्यालय जाते हैं। तथा 3179 बालक तथा 2303 बालिका कुल 5482 बच्चें स्कूल नहीं जाते हैं। इन बच्चों में से विभिन्न कक्षाओं में 1481 बालकों तथा 934 बालिकाओं को कुल 2415 बच्चों को अगस्त 2003 तक नामांकित कराया जा चुका है। शेष बच्चों का नामांकन ब्रिज कोर्स, नवाचार/वैकल्पिक केन्द्र, नवीन जूनियर हाईस्कूल में वर्ष 2003-04 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

सारणी 2.1

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बालगणना 6-11 तथा 11-14 वय वर्ग वर्ष 2003

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	6-11 वय वर्ग के बच्चों का विवरण									11-14 वय वर्ग के बच्चों का विवरण								
		कुल बच्चों की संख्या			कि जाने वाले बच्चे			कि न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			कि जाने वाले बच्चे			कि न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	दोहरी घाट	16286	15225	31511	16009	14884	30893	277	341	681	3287	3037	6324	3230	2974	6204	57	63	120
2.	फतहपुर मण्डाव	16504	14515	31019	16228	14161	30389	276	354	630	7297	6305	13602	7168	6188	13356	129	117	246
3.	घोसी	15719	13275	28994	14746	12359	27105	973	916	1889	6972	6287	13259	5688	5488	11176	1284	799	2083
4.	बड रौंव	14789	12905	27694	14626	12697	27323	163	208	371	7329	6373	13702	7127	6157	13284	202	216	418
5.	कोपागंज	14781	12860	27641	14733	12816	27549	48	44	92	6745	5265	12010	6527	5229	11756	218	36	254
6.	परदहा	9946	9039	18985	9822	8910	18732	124	129	253	5195	4649	9844	5021	4475	9496	174	174	348
7.	रतनपुरा	17800	17600	35400	17766	17535	35301	34	65	99	7700	6300	14000	7476	6208	13684	224	92	316
8.	मुहम्मदाबाद	20846	18260	39106	20201	17493	37694	645	767	1412	10364	8304	18668	9971	7950	17921	393	354	747
9.	रानीपुर	22438	18968	41406	22243	18799	41042	195	169	364	11271	10036	21307	11011	9737	20748	260	299	559
10.	नगर क्षेत्र	13063	14078	27141	12882	13843	26725	181	235	416	8136	7632	15768	7828	7479	15377	238	153	391
	योग	162172	146725	308897	159256	143497	302753	2916	3228	6144	74296	64188	138484	71117	61885	133002	3179	2303	5482

स्रोत-विभागीय आंकड़े

सारणी 2.12

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6-11 वय वर्ग के बच्चे) अगस्त 2003

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति के छात्र			कुल नामांकन में परिषद का प्रतिशत
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	दोहरीघाट	8389	9309	17698	3849	4079	7928	57.6%
2.	घोसी	8300	9274	17574	3223	3254	6477	51.2%
3.	फतहपुर मण्डाव	9273	10221	19494	3392	3487	6879	58.2%
4.	बडराव	9666	10522	20188	3266	3457	6723	52.5%
5.	कोपागज	7442	8443	16085	3050	3220	6270	41.8%
6.	परदहा	6032	6546	12578	2773	2999	5772	71.9%
7.	रतनपुरा	9732	10624	20356	2818	2831	5649	78.4%
8.	मुहम्मदाबाद	9220	10169	19389	4400	4657	9057	47.6%
9.	रानीपुर	11554	11994	23548	5415	5512	10927	61.0%
10.	नगर क्षेत्र	3006	3027	6033	1369	1208	2577	30.0%
	योग	82814	90129	172943	33555	34704	68259	

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड रतनपुरा में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत सर्वाधिक 78.4 है। परिषदीय विद्यालय में यह प्रतिशत सबसे कम नगर क्षेत्र में 30.0 प्रतिशत है। जनपद मऊ में अनुसूचित जाति की संख्या 22 प्रतिशत है जबकि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वालों छात्रों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत है।

विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का विवरण सारणी 2.11 में दिया गया है।

सारणी 2.13

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (11-14 वय वर्ग के बच्चे) अगस्त 2003

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति के छात्र			
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	दोहरीघाट	1301	1349	2650	472	511	983	
2.	घोसी	1406	1617	3023	561	630	1191	
3.	फतहपुर मण्डाव	1817	1853	3670	709	670	1379	
4.	बडराव	1084	1091	2175	475	525	1000	
5.	कोपागंज	935	1041	1976	369	408	777	
6.	परदहा	544	584	1128	325	303	628	
7.	रतनपुरा	895	837	1532	293	317	610	
8.	मुहम्मदाबाद	2010	1583	3593	1012	836	1448	
9.	रानीपुर	1919	1759	3678	717	674	1391	
10.	नगर क्षेत्र	526	543	1069	243	284	527	
	योग	12437	12257	24694	5186	5158	10344	

सारणी 2.14

(परिषदीय विद्यालय 30.8.2003 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर

क्र०सं०	भेद	ग्रामीण	नगर	योग
1.	कुल विद्यालय की संख्या	909	39	948
2.	प्राथमिक विद्यालय भवनहीन/जर्जर का पुनर्निर्माण	66	—	66
3.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	—	11	11
4.	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	729	11	740
5.	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	122	12	134
6.	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	35	4	39
7.	पाँच कक्षीय विद्यालयों तथा पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	23	1	24
8.	मरम्मत योग्य विद्यालय			
	लघु	135	—	135
	वृहद	61	3	64
9.	शौचालय विहीन विद्यालय	69	—	69
10.	हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	34	—	34
11.	चहारदीवारी विहीन विद्यालय	840	16	856

इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर 2158 अति० कक्षा कक्ष उपलब्ध है।



सारणी 2.15

(परिषदीय विद्यालय 30.8.2003 की स्थिति)

उच्च प्राथमिक स्तर

क्र०सं०	मद	ग्रामीण	नगर	योग
1.	कुल विद्यालय की संख्या	247	9	256
2.	उच्चप्राथमिक विद्यालय भवनहीन/जर्जर का पुनर्निर्माण	17	—	17
3.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	—	1	1
4.	छो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	1	—	1
5.	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	—	2	2
6.	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	242	5	247
7.	पाँच कक्षीय विद्यालयों तथा पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	4	1	5
8.	मरम्मत योग्य विद्यालय			
	लघु	21	2	23
	वृहद	27	—	27
9.	शौचालय विहीन विद्यालय	27	—	27
10.	हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	6	—	6
11.	चहारदीवारी विहीन विद्यालय	77	3	80

इस प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर 1022 अति० कक्षा कक्षा उपलब्ध है।

सारणी 2.16

भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र.सं.	सुविधा	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर			
		कमी	डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रावधान	11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रावधान	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रावधान	11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रावधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	0	-	-	0
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	66	0	0	66	17	-	-	17
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	2165	0	0	766	34	-	-	34
4.	पेयजल सुविधा	34	-	-	34	6	-	-	6
5.	शौचालय	69	-	-	69	27	-	-	27
6.	चहारदीवारी	0	0	0	0	0	0	0	0

स्रोत:- विभागीय आंकड़े

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इण्डिकेटर्स (जनपद-मऊ)

जनपद मऊ डी०पी०ई०पी०-III से आच्छादित है जो जनपद में अप्रैल 2000 से चल रही है। वार्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही है इस शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य डी०पी०ई०पी० कार्यक्रमों से सम्बन्धित निर्णयों में किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं जो कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित हैं।

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 की शैक्षिक स्थिति निम्न है:-

परिषदीय विद्यालय में नामांकन

कक्षा	बलक	बालिका	योग
कक्षा 1	25441	26808	52249
कक्षा 2	19332	20471	39804
कक्षा 3	15992	17792	33784
कक्षा 4	13356	14559	27915
कक्षा 5	11480	12515	23995
कक्षा 6	4181	3938	8119
कक्षा 7	3699	3417	7116
कक्षा 8	3431	2923	6354,

इ.एम.आई.एस. आकड़ों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा (6 से 11 वर्य वर्ग)

ग्रास इनरोलमेंट रेसिओ - कुल	—	100.13
बालिका	—	103
एन0ई0आर0 कुल	—	95.64
बालिका	—	98
अध्यापक छात्र अनुपात 2002-03	—	45
एक अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत		
वर्ष 2000-01	—	2
छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात	—	68.4

उपरोक्त डाटा से स्पष्ट है कि बालिकाओं का जी0ई0आर0 103 प्रतिशत पहुंच गया है जिसको 120 प्रतिशत तक लाने का उद्देश्य है जिससे एन0ई0आर0 को 100 प्रतिशत किया जा सके।

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षका के पद सृजित हुये हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र भी तैनात किये गये हैं फलस्वरूप एकल अध्यापिकीय विद्यालयों में कमी आयी है। साथ में छात्र-अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ है। स्कूल चलो अभियान के कारण छात्र नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाने का प्रयास किया जायेगा। साथ में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का मानक, कक्षा-कक्ष छात्र अनुपात 1:40 लाने हेतु अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण कराया जायेगा।

### जनपद की प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग दर

कक्षा 1 में 1998-99 की छात्र नामांकन संख्या एवं वर्ष 2002-2003 की कक्षा 5 की छात्र नामांकन संख्या के आधार पर, विकास खण्ड घोसी, परदहा एवं रानीपुर के आधार पर, शाला त्याग दर 25 प्रतिशत आंकलित किया गया। जो कक्षा 1 में 1999-2000 की छात्र नामांकन संख्या एवं कक्षा 5 में वर्ष 2003-04 की छात्र नामांकन संख्या के आधार पर विकास खण्ड घोसी, परदहा एवं रानीपुर की संख्या के आधार पर शालात्याग दर 20 प्रतिशत आंकलित किया गया। अधिक शाला त्याग दर का मुख्य कारण कक्षा 1 में अत्यधिक छोटे बच्चों का नामांकन है जिसे पुनः कक्षा 1 में ही रोक लिया जाता है। बड़े बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालय में चले जाते हैं। जिनकी संख्या आंकलित नहीं हो पाती है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त शाला त्याग दर को 2006-07 तक शून्य पर लाया जायेगा।

### अध्याय-3 नियोजन प्रक्रिया

प्रस्तावना :-

शिक्षा विकास का आधार है और बेसिक शिक्षा मानव के विकास की जांच शिला है यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार बेसिक शिक्षा को जन-जन तक सुलभ कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है। जनपद-मऊ में 2001 से पूर्व यद्यपि 6-11 वय वर्ग की बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता परक बनाने हेतु सरकार द्वारा आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (अप्रैल 2000 से संचालित) चलाया गया। किन्तु साक्षरता दर अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुँच सकी। गुणवत्ता की जांच हेतु डायट-मऊ द्वारा वेस लाइन सर्वे किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने सम्बन्धी चिर अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश की प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है, का उद्देश्य 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्ता-परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में, प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने सम्बन्धी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री, पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इस सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन प्रक्रिया और प्रोजेक्ट बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों के विचारों के साथ-साथ विभिन्न वर्गों एवं साम्प्रदायों के स्थानीय निवासियों के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण किया गया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बैठक, गोष्ठियाँ एवं

कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद-मऊ में वर्ष 2000 से चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत एक नियोजन कराया जा रहा है। सूक्ष्म नियोजन का प्रयोजन यह है कि प्रत्येक वस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं। इस हेतु सर्वप्रथम ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया है।

1. ग्राम में 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या
2. विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने के कारण।
5. यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या प्रयास किया गया ?
6. यदि मानक के अनुरूप नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ?
7. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं अथवा यदि नहीं तो उसके सुधार हेतु ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं ?
8. क्या विद्यालयों अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार ही तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है ?

9. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ?
10. शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

ग्रामवासियों द्वारा निम्न कार्य किये गये:

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं आ विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही ,युवक/ युवतियों, शिक्षकों-शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूह द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचना एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनाई गयी।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की गयीं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने न पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या

5. बालश्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर वस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/वस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी।

माइक्रोप्लानिंग एवं हाऊस होल्ड सर्वे से प्राप्त आंकड़े का सर्वशिक्षा अभियान की योजना में

#### उपयोग

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में बस्तीवार हाऊस होल्ड सर्वे का कार्य मई 2003 में कराया गया। जिसमें प्रत्येक बस्ती हेतु सहायक अध्यापकों/शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगायी गयी और यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक बस्ती से 5+ से 6+ वय वर्ग के बच्चों का संख्या 7+ से 10+ वय वर्ग के बच्चों की संख्या तथा 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या जाति वार ज्ञात की जा सकें साथ में उसमें से कितने पढ़ने जाते हैं कितने पढ़ने नहीं जाते हैं। तथा उनका विद्यालय में न पढ़ने का क्या कारण है, यथा अपने घर के कार्यों में लगे रहना, गरीबी, दुसरे के यहाँ कार्य करना आदि। इसी तरह विकलांगता के सन्दर्भ में भी आंकड़े इकट्ठा किए गये। जिससे विकलांग/विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। 5+ से 14 वय वर्ग के जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उनके नाम का भी कम्प्यूटराइजेशन किया गया तथा ऐसे स्कूल न जाने वाले बच्चों की चिन्हित करके उनका शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

इस हेतु बस्तीवार निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त की गयीं।



1. 5+ से 6+ वय वर्ग के कुल बच्चें, उसमें से पढ़ने जाने वाले बच्चें, पढ़ने न जाने वाले बच्चें, उनके न पढ़ने का कारण तथा यदि विकलांगता है। तो उसका प्रकार जानने का प्रयास किया गया।
2. 7 से 10+ वय वर्ग के कुल बच्चे, उसमें से पढ़ने जाने वाले बच्चें, पढ़ने न जाने वाले बच्चें, उनके न पढ़ने का कारण तथा यदि विकलांगता है तो उसका प्रकार जानने का प्रयास किया गया।
3. इसी प्रकार 11 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चें उसमें से पढ़ने जाने वाले बच्चें पढ़ने न जाने वाले बच्चें उनके न पढ़ने का कारण तथा यदि विकलांगता है तो उसका प्रकार जानने का प्रयास किया गया।

यह सर्वेक्षण 5 वर्षों में एक बार किया जाना है। इससे प्रतिवर्ष नामांकित किए जाने वाले बच्चों के लक्ष्य का भी पता चल गया है। तथा जो बच्चें शालात्याग करते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन वस्तियों की सूची तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं या जहाँ स्कूल न जाने वाले बच्चें/बच्चियां सर्वाधिक हैं इसके लिए शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक वस्तीवार सूचनाएं एकत्र कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करते हुए उनकी शिक्षा हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय 7 में दिया गया है।

क्रस0	ब्लाक का नाम	विद्यालय न जाने वाले 7+—10+ वय वर्ग			11—14 वय वर्ग विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	दोहरी घाट	277	341	618	57	63	120
2.	फतेहपुर मंडाव	276	354	630	129	117	246
3.	घोसी	973	916	1889	1284	799	2083
4.	बडरांव	163	208	371	202	216	418
5.	कोपागंज	48	44	92	218	36	254
6.	परदहा	124	129	253	174	174	348
7.	रतनपुरा	34	65	99	224	92	316
8.	मुहम्मदाबाद	645	767	1412	393	354	747
9.	रानीपुर	195	169	364	260	299	559
10.	नगरक्षेत्र	181	235	416	238	163	391
	महायोग	2916	3228	6144	3179	2303	5482

### स्कूल चलो अभियान :

मऊ जनपद में सन् 2000 से स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। जिससे छात्र नामांकन में एवं समुदाय की जागरूपता में वृद्धि हुई है जनपद में जुलाई 2001 में बालक बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने, ड्राप आउट समाप्त के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिसके कारण शैक्षिक वर्ष 2001-02 में बालक बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप जौ-वातावरण सृजित हुआ है उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। स्कूल चलो अभियान का विवरण नीचे दिया गया है।

“स्कूल चलो अभियान” कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें शत-प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। दिनांक 27-6-2001 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वय डी०पी०ई०पी० ब्लाक समन्वयकों की बैठक आयोजित की गयी और स्कूल चलो अभियान की रूप रेखा तैयार की गयी।

दिनांक 25-6-2001 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसमें जनपद स्तरीय समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया बैठक में स्कूल चलो अभियान 2001 की कार्ययोजना बनाई गयी जिसमें प्रत्येक तहसील हेतु उपजिलाधिकारी एवं प्रत्येक विकास खण्ड हेतु जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों को नामित किया गया तथा खण्ड विकास अधिकारियों को उनके विकास खण्ड का स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का उत्तरदायित्व सौंपा गया उनकी सहायता के लिए सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों एवं ब्लाक समन्वयकों को आदेशित किया गया। इसी क्रम में स्कूल चलो अभियान का सफल संचालन देख-रेख एवं समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक सक्रिय समिति का गठन किया गया। अपर जिलाधिकारी को जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मियों को भी इस कार्य में सहयोग करने हेतु आदेशित किया गया। साथ में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी को आदेशित किया कि बच्चों के नामांकन के साथ-साथ विद्यालय में ठहराव को सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु विद्यालयों में टाट-पट्टी क्रय एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया।

इस तरह जनपद में 92 न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल चलो अभियान चलाने के लिए समन्वयक एन०पी०आर०सी० को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। जनपद के समस्त 598 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिए ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

दिनांक 23-6-2001 को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों एवं ब्लाक समन्वयकों की बैठक जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित की गयी एवं उनकी

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल चलो अभियान की समीक्षा की गयी। स्कूल चलो अभियान दो चरणों में 1 से 15 जुलाई 2001 तथा 16 से 21 जुलाई की अवधि में चलाया गया। प्रथम चरण में वातावरण सृजन जनसम्पर्क तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करके उनकी सूची बनाने का कार्य किया गया। वातावरण सृजन के लिए प्रभात फेरी, नारों, बैनर, शिक्षा सम्बन्धी गीतों आदि का आयोजन किया गया। द्वितीय चरण में स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन का कार्य सम्पन्न किया गया।

4 जुलाई 2001 को समस्त विकास खण्ड एवं तहसीलों में नोडल अधिकारियों की देख-रेख में जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, अध्यापकों के एवं बच्चों की प्रभात फेरी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से निकाली गयी।

दिनांक 13 जुलाई 2001 को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री जनपद मऊ श्री राकेशधर त्रिपाठी के नेतृत्व में रैली निकाली गयी इसमें पूर्व विधान परिषद सदस्य, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक एवं स्कूल में अध्ययनरत बच्चे आदि सम्मिलित हुए।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विस्तृत आख्या के साथ-साथ सभी लोगों को बच्चों को नामांकित कराने के लिए सपथ दिलायी गई एवं सभी से इस कार्यक्रम में सहयोग हेतु आह्वान किया गया। माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया। इस महत्व पूर्ण कार्यक्रम का आकाशवाणी गोरखपुर एवं दूरदर्शन मऊ द्वारा कवरेज किया गया। जिसका रेडियो रिपोर्ट दिनांक 14.7.2001 को युवा जगत कार्यक्रम में प्रसारित किया गया। इसी क्रम में 15.7.2001 को सायं 5:35 बजे आकाशवाणी गोरखपुर से स्कूल चलो अभियान पर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी की वार्ता भी प्रसारित की गयी। विभिन्न सामाचार पत्रों ने भी इस कार्यक्रम को प्रमुखता से प्रसारित किया।

6-11 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या			6-11 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल जनसंख्या (चिन्हित बच्चे)			स्कूल चलो अभियान के पूर्व 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति			स्कूल चलो अभियान के पश्चात् नामांकन की स्थिति			स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नामांकन वृद्धि		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
162172	146725	308897	2916	3228	6144	159256	143497	302753	160771	146059	306830	1515	2562	4077

नोट:- उपरोक्त संख्या में 5+ से 6+ के बच्चों की संख्या नहीं ली गयी है स्कूल चलो अभियान में 5+ से 6+ के समस्त बच्चों को नामांकित करा दिया गया है। उपरोक्त संख्या 7 से 11 वय वर्ग से सम्बन्धित है। जिसके लिए विज कोर्स का आयोजन कराया जा रहा है।

## जूनियर हाईस्कूल स्तर

11-14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या			11-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की कुल जनसंख्या (चिन्हित बच्चे)			स्कूल चलो अभियान के पूर्व 11-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति			स्कूल चलो अभियान के पश्चात् नामांकन की स्थिति			स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नामांकन वृद्धि		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
74296	64188	138484	3179	2303	5482	71117	61885	133002	72598	62819	135417	1481	934	2415

## समितियों एवं टीम का गठन एवं उसके कार्य

ए. जिला स्तरीय कोर टीम :

जनपद मऊ में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत जिला स्तरीय कोर टीम के गठन के साथ हुई। राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 7-8 नवम्बर को राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में आयोजित किया गया। जिसमें जिला स्तरीय कोर टीम के सदस्य जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (डी०पी०ई०पी०) जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला में सर्व शिक्षा अभियान के मूल अवधारणाओं एवं नीतियों तथा योजना निर्माण के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। द्वितीय बैठक 7-8 दिसम्बर को सीमेट इलाहाबाद में हुई।

बी. जिला नियोजन कमेटी :

राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के कार्यालय में एक बैठक 10-11-2001 को आयोजित की गई इस बैठक में जिला स्तरीय नियोजन समिति का गठन जिला स्तरीय कोर टीम को विस्तारित करते हुए किया गया जिससे कि नियोजन का कार्य और अधिक अच्छे एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। इस समिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वयकों (डी०पी०ई०पी०) अच्छे अध्यापकों एवं शिक्षक प्रतिनिधियों को रखा गया।

दिनांक 12-11-2001 को जिलाधिकारी मऊ की अध्यक्षता में योजना निर्माण एवं फोकस ग्रुप विचार विमर्श हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों, परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण ब्लाक प्रमुखों जिला पंचायत सदस्यों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों जिला समन्वयकों (डी०पी०ई०पी०) की बैठक आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ ने योजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकाश डाला एवं योजना निर्माण में सहयोग हेतु समस्त प्रतिभागियों से अपेक्षा की।

सी. : दिनांक 13 नवम्बर 2001 को विकास खण्ड कौपोंगंज में समस्त सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों, ब्लाक समन्वयकों एवं सह समन्वयकों की बैठक जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इसमें फोकस ग्रुप एवं योजना निर्माण हेतु शाला त्यागदर

एवं विद्यालय में पठन पाठन नामांकन इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ में प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम पांच-पांच फोकस ग्रुप का लक्ष्य रखा गया एवं उसकी तिथियां निर्धारित की गयीं।

डी० : बस्ती/ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गयी। सर्व शिक्षा अभियान का आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है उसकी शिक्षा से क्या अपेक्षाएं हैं तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है बिना इसके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती। एफ०जी०डी० में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं जिनको कार्यक्रम चलने पर सम्पर्क व्यक्ति (कान्टैक्ट परसन) सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते हैं सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ०जी०डी० से ही हो सकी है यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

ग्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान पंचायत सदस्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह सन्देश एन०पी०आर०सी० के द्वारा किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर आधारित है इसकी योजना एफ०जी०डी० के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन "ग्रास रूट लेबल प्लानिंग" के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा विशेष कर ग्राम पंचायतों को इसके नियोजन प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी भी उनकी भागीदारी होगी। स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थों में यह जनता का अभियान बन सकें।

7. शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तर के होते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन, क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन एवं विविधि स्तरीय नियोजन यहां पर रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

जनपद स्तर पर नियोजन:

जनपद में (डी०पी०ई०पी०) कार्यक्रम विगत दो वर्षों से संचालित है उसी के वृहद स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया है। जिन विकास एजेन्सीज में हमें (डी०पी०ई०पी०) सहयोग मिला है और हमें जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गयीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला बेसिक शिक्षा के सदस्यों के साथ बैठक माननीय सांसद एवं माननीय विधायकगण के साथ बैठक प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समिति सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों अभिभावकों को विशिष्ट समूहों से विचार विमर्श किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों से तथा स्वयं सेवी संगठनों से विचार-विमर्श किया गया।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग :

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनिश्चित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

ए. आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय :

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन०जी०ओ० आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु असनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।



बी. स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय :

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोग छात्र-छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रख-रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पूंजीकृत चिकित्साकों की सेवाएँ ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

सी- समाज कल्याण विभाग से समन्वय :

समाज कल्याण विभाग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु0जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/- व 480/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

डी- ग्राम पंचायतों से समन्वय :

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि एवं प्रबन्धन समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

ई- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय:

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 8 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को 3 किग्रा0 प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

एफ- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय :

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, बौसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायमार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

जी-उ0प्र0जल निगम/यू0पी0एगो से समन्वय :

इस इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय से छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

एच- कल्याण विभागों से समन्वय :

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित कराई जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवा मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

आई- पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय:

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/-रु0 प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित कराई जाती है। ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पढ़न-पाठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

जे- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय :

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है, जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कनवजेन्स स्थापित है, जैसे जिसे अग्रे भी जारी रखा जायेगा।

क्र सं०	जनपद स्तर / ब्लाक स्तर / ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एव संस्था	बैठक / विचार विमर्श में जो विन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	जनपद स्तर	12-11-2001	कलेक्ट्रेट	अधिकारी-18 ब्लाक प्रमुख-3 जिला पंचायत-8 सदस्य अन्य जनप्रतिनिधि-14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यापकों की विद्यालय में समय से उपस्थिति निश्चित करना।</li> <li>2. जूनियर स्तर के 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना।</li> <li>3. बालिकों का विद्यालय में नामांकन</li> <li>4. सही सर्वेक्ष करारकर शाला त्यागी बच्चों का नामांकन</li> <li>5. विद्यालय में शिक्षकों की कमी।</li> <li>6. शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी।</li> </ol>
2	ब्लाक स्तर	13-11-2001	कोपागंज	अधिकारी-7 समनवयक-9 प्रधानाध्यापक-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष प्रयास</li> <li>2. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भी सुधार की आवश्यकता</li> <li>3. बांसफोर जाति के लिए विशेष</li> </ol>

					<p>प्रयास करना</p> <p>4. शिक्षा में अन्ध विश्वास मिटाना।</p>
3	वस्ती स्तर	15-11-2001	डीहतिलक रतनपुरा	<p>अधिकारी-1</p> <p>अध्यापक-11</p> <p>ग्राम सभा-24 के सदस्य</p>	<p>1. गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते।</p> <p>2. बड़ी लड़कियां स्कूल दूर होने के कारण विद्यालय नहीं जाती।</p> <p>3. अध्यापक की कमी</p> <p>4. कक्षा-1 से 8 तक के लिए विद्यालय की मांग</p> <p>5. विद्या केन्द्र के बच्चों को भी छात्र वृत्ति एवं मध्यान भोजन की व्यवस्था</p>
4	बस्ती स्तर	15-11-2001	राजभर बस्ती	<p>अधिकारी-1</p> <p>प्रधान-1</p> <p>अध्यापक-3</p> <p>अभिभावक-5</p>	<p>1. शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी</p> <p>2. शिक्षा की उपयोगिता संदग्धि</p> <p>3. बाल श्रमिक के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता</p> <p>4. व्यवसायिक शिक्षा ओना चाहिए।</p>
5.	ग्राम पंचायत स्तर मकदूमपुर	28-11-2001	प्रा0वि0 मकदूमपुर	<p>1. अधिकारी-1</p> <p>ग्राम प्रधान-1</p>	<p>1. जू0 हा0 स्कूल न होने कारण बालिका शिक्षा</p>

				उप प्रधान-1 सदस्य-6 शिक्षक-2 ग्रामीण-24 35	बाधित हो रही है।
6.	खनिगह	27-11-2001	उ०प्र०वि० खनिगह	अधिकारी-1 शिक्षक-10 जनप्रतिनिधि-9 ग्रामीण-20	1. आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाय। 2. ग्राम प्रधान को गांव वालों ने इस्तीफे के लिए अधिकृत किया। 3. साज-सजजा की व्यवस्था की जाय। 4. विषय अध्यापक की नियुक्ति। 5. विद्युत उपलब्ध करा या जाय।
7.	पिडउथ सिंहपुर	29-11-2001	प्रा०वि० पिडउथ सिंहपुर	अधिकारी-1 शिक्षक-2 जनप्रतिनिधित-8 ग्रामवासी-15	1. विद्यालय तक रोड बनवाया जाय। 2. भवन की रंगाई कराई जाय। 3. बच्चों को गणवेश में आने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
8.	बस्ती रत्तर	12-11-2001	जोगापुर रतनपुरा	अधिकारी-1 ब्लाक समनवयक-1 सह-समन्वयक-2 अध्यापक-2 अभिभावक-10	1. विद्यालय की आवश्यकता, ब 2. बालिकाओं की गृह कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय न जाना।

					<p>3. अध्यापकों की उदासीनता,</p> <p>4. अभिभावकों में जागृकता, की कमी।</p> <p>5. व्यवसायिक शिक्षा की कमी।</p> <p>6. बड़े बच्चों के विद्यालय में नामांकन सम्मत् नहीं।</p> <p>7. बाढ ग्रस्त इलाके के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं।</p>
9	बस्ती स्तर	12-11-2001	कहिनौरा ग्राम सभा-अहि लख	प्रधान-1 अध्यापक-1 न्यायपंचायत समन्वयक-1 ग्रामवासी-5	<p>1. प्रा0वि0 का न होना</p> <p>2. बच्चों का घरेलू काम-कज में व्यस्थ रहना।</p> <p>3. शिक्षा के प्रति उदासीनता,</p> <p>4. बालिकाओं के लिए समीप में विद्यालय का न होना। जू0 हा0 स्कूल0 बनवाये जाय।</p> <p>5. आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन।</p> <p>6. अध्यापक से विभिन्न कराये जगये कार्यों का निघ्पादन कराया जाय।</p> <p>7. विद्यालय का वातावरण आर्कषण</p>

					न होना।
10.	जनपद स्तर	12-12-2001	जिला पंचायत भवन-मऊ	जिला पंचायत अध्यक्ष-1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-1 जिला समन्वयक-2 ब्लाक प्रमुख-3 जिला पंचायत सदस्य-4 अध्यापक-5 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी-8 जनप्रतिनिधि-5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. असावित एवं मलीन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना</li> <li>2. भौगोलिक कठिनाई के कारण शिक्षा में अवरोध।</li> <li>3. विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव जैसे-फर्नीचर, विद्युत चहारदीवारी, कक्षा - कक्ष इत्यादि</li> <li>4. अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जाग्यकता न होना।</li> <li>5. शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी।</li> <li>6. विद्यालय में अध्यापकों की कमी।</li> <li>7. अध्यापक का अन्य विभागों के कार्यों में जाना।</li> <li>8. गरीबी।</li> <li>9. अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव</li> <li>10. अध्यापकों का शिक्षण कार्य में अवरूद्ध।</li> <li>11. छात्रों के गणवेश</li> </ol>

					<p>पर ध्यान न देना।</p> <p>12. अध्यापक, अभिभावकों का सामन्जस न होना।</p> <p>13. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था।</p> <p>14. शैक्षिक पर्यवेक्षण की कमी।</p> <p>15. बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था।</p>
11.	मलीन बस्ती स्तर	13-12-2001	साड़ी कटरा नगर क्षेत्र - मऊ	अधिकारी-1 अध्यापक-3 वार्डवासी-5	<p>1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।</p> <p>2. शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध</p> <p>3. बाल श्रमिकों के लिए ब्रिजकोर्स या एवं वै0शि0 की व्यवस्था।</p> <p>5. बालिकाओं का नामांकन, विद्यालयों में कराया जाय।</p> <p>6. शिक्षा से अन्धविश्वास मिटाना चाहते हैं।</p> <p>7. मेहनत मजदूरी के कारण शिक्षा के लिए समय नहीं मिलता है।</p>



## अध्याय-4

### सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य:

भारत सरकार द्वारा कक्षा-1 से 8 तक के प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पूर्व निर्धारित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के माध्य से अंशदान का प्रतिशत 85:15 दशमध के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 का रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा-1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं-

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत-प्रतिशत नामांकन।
2. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा-5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. गुणवत्तापूरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
5. बालक-बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्पत्ति में अन्तर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी मानलिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गये है। जिनका विवरण आगे के पृष्ठों में अंकित है।

पहुँच :

300 से अधिक आबादी एवं 1.5 किमी<sup>0</sup> की त्रिज्या में जहाँ पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे असेवित वस्तियों में 18 नवीन विद्यालय वर्ष 2003-04 में खोले जा रहे हैं। साथ में जिला प्राथमिक शिक्षा से संचालित 350 शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक केन्द्रों के माध्यम से समस्त बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा। 800 से अधिक आबादी एवं 3 किमी<sup>0</sup> की त्रिज्या में जहाँ परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसे असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में 120 विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 27 ए.आई.ई. केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। जिससे शाला त्यागी बच्चों का भी नामांकन किया जा सके और जनपद की बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों के साथ-साथ सबको निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन के लिए ब्रिज कोर्स, ग्रीष्मकालीन शिविर एवं अन्य नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाये जायेंगे। जिनका विवरण आगे के अध्यायों में विस्तृत रूप से दिया गया है।

### नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधि:

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपदवार आंकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना-1991 की जनसंख्या की आंकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.6% है। इस वार्षिक दर से वर्ष 2002 से 2007 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनपद में विकास खण्डों से प्राप्त हाऊस होल्ड सर्वे की सूचना के आधार पर 6 से 11 वय वर्ग एवं 11 से 14 वय वर्ग की संख्या ली गयी है।

नामांकन का प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०आई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित नामांकन अनुपात प्रणाली से 2002-2007 तक का जी०आई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी०आई०आर० तथा प्रक्षेपित वाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिए वर्ष 2007 तक शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०आई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001 से 2007 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बालक संख्या व नामांकन तथा 11-14 की बालक संख्या व नामांकन निम्नवत् है:-

#### सारिणी 4:1

#### प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या						जी०आई० आर०
	कुल			नामांकित			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002-2003	156940	144867	301807	156940	144869	301807	100
2003-2004	162172	146725	308897	173524	156996	330520	107
2004-2005	166388	150540	316928	189682	171615	361297	114
2005-2006	170714	154454	325168	204857	185345	390202	120
2006-2007	175153	158470	333623	210184	190164	400348	120

सारिणी 4:2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या						जी0ई0 आर0
	कुल			नामांकित			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002-2003	72364	62519	134883	70917	61269	132186	98
2003-2004	74296	64188	138484	74296	64188	138484	100
2004-2005	76228	65857	142145	80102	69150	149252	105
2005-2006	78210	67569	145779	86031	74326	160357	110
2006-2007	80243	69326	149569	88267	76259	164526	110

ठहराव के लक्ष्य :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले का प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर	ठहराव पर
2002-03	25	75
2003-04	20	75
2004-05	10	90
2005-06	0	100
2006-07	0	100

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्रॉप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक कोहोर्ट स्टडी करायी जायेगी।

प्राथमिक स्तर पर जनपद की ड्रॉप आउट पर 25 प्रतिशत है। जिसे घटाकर वर्ष 2007 तक शून्य किया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 20 प्रतिशत है। जिसे घटाकर वर्ष 2007 तक शून्य किया जायेगा।

गुणवत्ता संवर्द्धन :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया गया है। इसको अब पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में भी लागू किया जायेगा। जो उनके सोच, व्यवहार को बदलने में सहायक होगी और कक्षा-कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों की प्रदान कर सके। जो इसके साथ-साथ इसकी माप को भी सर्वे के आधार पर कराया जायेगा। यह सर्वे प्रत्येक विकास खण्ड के 5-5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय पर कराया जायेगा। साथ ही विषयवार अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

#### उच्च प्राथमिक विद्यालय में शाला त्याग दर

जनपद के तीन विकास खण्ड 1. घोसी 2. मुहम्मदाबाद 3. कोपागंज के पांच-पांच उच्च प्राथमिक विद्यालय के आंकड़े एकत्र किए गये तथा उनके विश्लेषण के उपरान्त शाला त्यागदर ज्ञात किया गया। जिसका वर्षवार प्रोजेक्सन निम्न है।

वर्ष	शाला त्यागदर	ठहराव
2002-03	20	80
2003-04	15	85
2004-05	10	90
2005-06	0	100

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक जनपद-मऊ

2001 से 2003 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2000-01	10200	7049	17249	59.1	40.9	100
2001-02	10515	9706	20221	52	48	100
2002-03	11311	10278	21589	52.4	47.6	100

स्रोत विभागीय आंकड़े

जनपद मरु वर्ष 2000 से डी०पी०ई०पी० परियोजना से आच्छादित है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में आशाजनक वृद्धि हुई है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग
2000-2001	6268	5731	5250	17249
2001-2002	7352	6435	5701	19488
2002-2003	8119	7116	6354	21589

स्रोत विभागीय आंकड़े

परिषदीय विद्यालयों का ट्राजिसन दर कक्षा-5 से कक्षा-6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्राजिसन दर
2000-2001	21480	6271	29.2 प्रतिशत
2001-2002	22269	7352	33 प्रतिशत
2002-2003	22672	8119	35.8 प्रतिशत

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अति आवश्यक है कि कितने बच्चों एक स्तर की शिक्षा में नामांकित होते हैं अतः जनपद मरु का परिषदीय विद्यालयों का ट्राजिसन

दर उक्त सारणी से ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि मात्र 35.81 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में नामांकित हो पाते हैं।

### प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण:—

जनपद मऊ में एन.पी.आर.सी. समन्वयको के 92 सृजित हैं जिनमें से मात्र 69 में समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/15-5-01-346/2001 दिनांक 11-7-2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है।

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति	
930	671	ए—	83
		बी—	483
		सी—	94
		डी—	11

इसी प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण कार्य कराया जायेगा जिससे शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

## अध्याय-5

### समस्यायें व रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रूप में अपनाई गयी है और बस्ती आधारित कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधान अभिभावकों विधायकगण, सांसद, ब्लाक प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिगण के साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गई हैं। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवत उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली रणनीतियां इस प्रकार हैं।

मुद्दे	रणनीतियां
(क) शिक्षा की पहुंच	
1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्तियों में उपलब्ध नहीं है।	टाऊस होल्ड सर्वे के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 1.5 किमी० की त्रिज्या के 18 असेवित बस्तियों के लिए 18 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। इसी प्रकार मानक अनुसार— जनपद में 120 उच्च प्रा० वि० खोले जा चुके हैं।
2. 300 से कम आबादी वाले	इन बस्तियों के लिए 175



विखरी वस्तियों में 1.5 कि०मी० के अन्दर कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है।

3. कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधाओं का अभाव है।

ई०जी०एस० केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनको सर्व शिक्षा अभियान में आगे भी लिया जायेगा।

समस्त कामकाजी बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा तथा शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। हथकरघा, बीड़ी भट्टा उद्योग में लगे परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा पर तथा ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जायेगा।

ख- नामांकन सम्बन्धी

1. समुदाय बच्चों के नियमित पठन-पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नहीं है।

ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठकों का आयोजन कराया जायेगा। शिक्षक अभिभावकों की बैठकों आयोजन, विद्यालय द्वारा रैली का आयोजन, शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जागृति तथा समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया

2. समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित

जायेगा

टार्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जायेगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाजोपयोगी उत्पादक कार्य जैसे बांसकी टोकरी, पंखे बनाना, गुड़िया, खिलौना, मिट्टी का कार्य, सिलाई, बुनाई, चित्रकारी, कागज के चित्र अलबम आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।

3. बच्चों का घरेलू कार्य में व्यस्त होना।

अभिभावकों तथा ग्रामीण जनो में जागरूकता लाते हुए बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिये समय देने के प्रति प्रेरित किया जायेगा। विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया

जायेगा।

4. छात्र को दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों के सदुपयोगी की कमी।

विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाने उनके ठहराव को बनाये रखने तथा अभिभावकों की आर्थिक मदद की दृष्टि से दिया जाने वाला स्कूल पोषाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण के वितरण प्रक्रिया को नियमित एवं सुदृढ किया जायेगा जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिल सके।

(ग) ठहराव सम्बन्धी

1. जन सहयोग एवं समर्थन की कमी

सामाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जन सहयोग एवं सामुदायिक सहभागिता के द्वारा जनचेतना प्राप्त करके बच्चों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा।

2. विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का अभाव विद्यालयों को बागवानी, साज सज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जायेगा। तथा विद्यालय में बच्चों के खेलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वातावरण का विकास किया जायेगा।
3. सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा चहरदीवारी बिहीन 856 प्रा०वि० तथा 80 उ०प्रा० विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण कराते हुए विद्यालय के लिये आर्कषक बागवानी की सुरक्षा की जायेगी।
4. पेयजल, शौचालय का अभाव पेयजल सुविधा विहीन 34 प्रा०वि० तथा 6 उ०प्रा०वि० में क्रमशः हैण्डपम्प तथा शौचालयों की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को बढ़ाया जायेगा।
5. उपयुक्त भवन कक्षा, कक्षा साज-सज्जा तथा शिक्षकों की प्राथमिक स्तर पर 762 कक्षा कक्ष 300 शिक्षकों की कमी तथा

कमी

उ०प्र० स्तर पर कक्षा-कक्ष तथा शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा। सभी विद्यालयों में पर्याप्त साज सज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ठहराव की समस्या दूर की जायेगी।

6. शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा की कमी तथा बहुश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना।

शिक्षकों में नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण बोध का ज्ञान कराते हुए शिक्षा के प्रति समर्पण को भी जागृत तथा अभिप्रेरित किया जायेगा। शिक्षणेत्तर क्रिया कलापों में अत्यधिक व्यवस्था, नियुक्ति स्थान को समाप्त करते हुए बालकों के प्रति उनका दायित्व बोध बढ़ाकर ठहराव समस्या को शून्य किया जायेगा।

घ- गुणवत्ता सम्बन्धी

1. नवीन पाठ्य क्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी।

नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा

गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रति वर्ष दिया जायेगा।

2. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव

समाजिक रीति रिवाज स्थानीय स्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुनर्वर्द्धात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कराया जायेगा।

3. निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्वर्द्धात्मक प्रशिक्षण का न होना।

नवीन पाठ्य क्रमी को जानकारी, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ-साथ शिक्षकों के गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुनर्वर्द्धात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4. समुदाय में पठन-पाठन प्रक्रिया से  
समुचित ज्ञान की कमी।

शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायेगा।

5. शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना।

पाठों के अनुरूप सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा। तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि छात्रों में विषय वस्तु को समझने में आसानी हो साथ ही कक्षा शिक्षण रुचिकर हो सके, इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा।

6. शिक्षकों का गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना।

विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्यान्य गैर विभागीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यवस्था

को कम किया जायेगा। तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रबन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी।

#### 5. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी

1. न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमतायें होना। विद्यालयों को सतत् रूप से अकादमी सपोर्ट न मिल पाना।

न्याय पंचायत तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में विताये जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा। तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरुचि उत्पन्न करने, विद्यालय प्रबन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र को शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट



देने के लिए क्षमता वान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके।

2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विद्यालयी परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की कमी की स्थिति में बहु कक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया जायेगा।

3. प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की कमी।

प्रारम्भिक शिक्षा की समस्यायें प्रगति तथा विभिन्न क्रिया कलापों के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। तथा सुझाये गये तरीको तथा उपयोग करते हुए। लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त

निष्कर्षों का उपयोग कार्य क्रमों के संचालन में किया जायेगा।

4. विद्यालय सांख्यिकी तथा ई0एम0आई0एस0 को और सुदृढ़ इन्डीकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग बनाया जायेगा और आंकड़े नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण करा कर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जायेगा।

अध्याय-6  
शिक्षा की पहुँच का विस्तार  
(नवीन औपचारिक विद्यालय)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 6-11 वय वर्ग के बालक छोटे होने के कारण दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश में सामान्यतः प्रवेश नहीं पाते और यदि विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रेरित करके उन्हें विद्यालय में नामांकित करा भी दिया जाय तो वे प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थिति नहीं होते और कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी<sup>0</sup> की दूरी पर जहाँ की जनसंख्या 300 हो एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कुल 69 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 930 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 136 उच्च प्रा<sup>0</sup>वि<sup>0</sup> संचालित हैं। फिर भी वांछित संख्या में विद्यालय स्थापित नहीं हो पाये हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद मऊ में परिवार एवं वस्तीवर सर्वेक्षण तथा मान चित्रण करके असेवित बस्तियों चिन्हित की गयी है और उनमें विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया है।

जनपद मऊ में बस्तियों की कुल संख्या 1644 है जिनमें 18 बस्तियों ऐसी है, जिनकी आबादी 300 से अधिक है और जिनके 1.5 किमी<sup>0</sup> के त्रिज्या में कोई विद्यालय नहीं है। ऐसे बस्तियों में 18 नवीन प्राथमिक विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सन् 2003-04 में खोले गये हैं।

सभी नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ और गुणवत्ता पूर्व हो सके इस दृष्टि प्रस्तावित भवनों में शौचालय, पेयजल, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जिनकी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

विद्यालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग डी0पी0ई0पी0 की भाँति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा। मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाट पट्टी आलमारी, सन्दूक, श्याम पट्ट कूड़ादान, म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बॉसुरी, आदि) क्रीड़ा सामग्री फुटवाल, वालीवाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी, क्लासरूम टीचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान) किट मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्द कोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खूलकूद के ब्लाक आदि। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा। 1 वर्ष बाद खोले जाने वाले विद्यालय तथा वांछित अध्यापक संख्या तालिका 6.1 में आने दिया गया है।

विकास खण्डवार नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सारणी 6.1 प्रदर्शित है।



## 2. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :

जनपद मऊ के ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है। जनपद में सभी लक्ष्यरत वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा प्राप्त हो सके। इसके लिए 120 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

800 की आबादी और 3 किमी<sup>0</sup> की दूरी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय 120 हैं। इन प्रस्तावित विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ शौचालय, हैण्ड पम्प, चाहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की भी आवश्यकता है। उपरोक्त 120 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय सन् 2003-04 तक खोल दिये गये हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है जो इस प्रकार है। मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बॉसुरी आदि)। क्रीड़ा सामग्री (फुटवाल, बालीबाल, कीपिंग रो, हवा भरने का पम्प) क्लास रूम टीचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र-ग्लोब, टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्यूपमेंट की व्यवस्था शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

### पेयजल, शौचालय एवं चाहरदीवारी :

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इंडिया मारका-2 हैण्ड पम्प अभी स्थापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से

चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सबकी लागत को प्रत्येक विद्यालय की इकाई लागत में शामिल किया गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी मऊ की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति सबकी भावना को जागृति करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौंपा गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः प्रत्येक विद्यालय के लिए एक प्रधानाध्यापक और चार सहायक अध्यापक की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। विकास खण्ड वार विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारिणी में प्रदर्शित है जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षण कार्य में दक्ष बनाया जायेगा।

### प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन चयनित अध्यापकों में 50 प्रतिशत शिक्षिकाओं की नियुक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी। इसी तरह से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में भी 50 प्रतिशत महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी। छात्र अध्यापक अनुपात को 1:40 पर लाने हेतु 50 प्रतिशत अध्यापक एवं 50 प्रतिशत शिक्षा मित्र रखे जायेगे।





सारणी-6.3  
वर्षवार नवीन खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उ०प्रा०	21	99	0	0	0

नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वर्षवार आवश्यकता तथा उनके शिक्षकों की आवश्यकता संकलित रूप में निम्नांकित  
सारणी-6.4  
वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता

क्रसं०	वर्ष	नवीन प्रा०वि०	प्रधानाध्यापक	शिक्षा मित्र	नवीन उ०प्रा०वि०	प्रा०अ०	सहायक अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2002-03	18	18	18	21	21	42
2.	2003-04	-	-	-	99	99	198
3.	2004-05	-	-	-	-	-	-
4.	2005-06	-	-	-	-	-	-
5.	2006-07	-	-	-	-	-	-
6.	2007-08	-	-	-	-	-	-
	योग	18	18	18	120	120	240

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में लागत में कमी लाने की व्यवस्था:—

सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि भवन हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सके।

**शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :**

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वस्ती की आवादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। वस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा। इसके आधार पर आगामी वर्ष के वजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं के स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिए ₹0 2,00,000 का वित्तीय प्राविधान रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों/ सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

**विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्वेक्षण :**

विद्यालय भवन शौचालय, हैण्ड पम्प, चाहरदीवारी, आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्वेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

## अध्याय-7 शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार, तथा ब्रिज कोर्स)

जनपद में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम :

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्राप आउट होने का कारण अधिक आयु हो जाने के कारण/मनोवैज्ञानिक दबाव-के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों विशेषकर बालिकाओं तथा कामकाजी बाल श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनपद मऊ में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे मकतबों में बालक/बालिकाओं की गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु इनके लिए प्रबन्ध समितियों के अनुमोदन पर अनुदेशक की व्यवस्था भी करायी गयी है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना :

स्थानीय समुदाय की मांग तथा क्षेत्र विशेष एवं लाभार्थियों की व्यय आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला गया है।

संचालन स्थल :

ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का संचालन किसी सार्वजनिक स्थान पर कराया जा रहा है। जहाँ बच्चों की पहुँच की दृष्टि से लाभार्थियों के लिये उपर्युक्त होता है।

जनपद में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का विवरण :- (31 अगस्त 2003 के अनुसार)

क्र सं०	विकास खण्ड का नाम	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की सं०		कुल नामांकित बच्चों की संख्या		
		शिक्षा घर	मकतब	बालक	बालिका	योग
1.	परदहा	10	01	166	165	331
2.	घोसी	14	09	347	349	696
3.	फतेहपुर मण्डांव	13	6	286	288	574
4.	कोपागंज	11	00	167	166	333
5.	बडरांव	15	08	348	347	495
6.	दोहरीघाट	16	00	242	244	486

6.	दोहरीघाट	16	00	242	244	486
7.	रतनपुरा	23	01	362	365	727
8.	रानीपुर	20	00	302	304	606
9.	मुहम्मदाबाद	08	00	123	125	248
10.	नगर क्षेत्र	20	00	301	302	603
योग		150	25	2644	2652	5296

स्रोत: विभागीय आंकड़े

संचालन समय :

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन चार घंटे संचालित किया जा रहा है। पूरे शैक्षिक सत्र में 900 घंटे शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। अनुदेशक द्वारा प्रतिदिन एक घंटे शिक्षण कार्य हेतु कक्षा पूर्व तैयारी की जाती है। अनुदेशक के लिये सप्ताह के कम से कम दो बार अभिभावकों तथा समुदाय से सम्पर्क करना अनिवार्य है।

अनुदेशक चयन :

अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का व्यक्ति होता है। जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाता है। उसी गाँव/बस्ती का अर्ह व्यक्ति न मिलने की स्थिति में नजदीकी गाँव/बस्ती का अर्ह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होती है। तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है।

आचार्य जी का चयन :

आचार्य जी यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का व्यक्ति होता है जहां पर केन्द्र स्थापित किया जाता है। उसी गाँव या बस्ती का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर नजदीकी गाँव बस्ती का अर्ह व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आचार्य जी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता -हाई स्कूल निर्धारित है। महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

मानदेय वितरण :

आचार्य जी को प्रतिमाह रू0 1000 मानदेय के रूप में दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति के खाते के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों के

आचार्य जी को मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

**प्रशिक्षण :**

चयनित आचार्य जी का प्रशिक्षण केन्द्र संचालन के पूर्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया मऊ में एक माह का प्रशिक्षण दिया जाता है इस अवधि में उन्हें मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होती है।

**पर्यवेक्षण :**

विद्या केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमीक सहयोग एवं नियमित प्रभावी पर्यवेक्षण का कार्य न्याय पंयायत समन्वयक द्वारा किया जाता है। उसके अतिरिक्त उनके द्वारा आचार्य जी की मासिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं, इसके अतिरिक्त बी०आर०सी० समन्वयक जिला समन्वयक (डी०पी०ई०पी०) तथा प्रवक्ता डायट सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी अकादमी सहयोग प्रदान किया जाता है।

**पाठ्य पुस्तके एवं निःशुल्क सामग्री:**

प्रत्येक विद्या केन्द्रों को साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु 2350 रु० जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सूची के अनुसार सामग्री कय करके केन्द्र को उपलब्ध करादी जाती है। पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु प्रति केन्द्र 1000 रूपये उपलब्ध कराया गया है। जिसके द्वारा बच्चों को निर्धारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है।

**मूल्यांकन :**

केन्द्र पर अध्ययनरत कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का तिमाही छमाही एवं वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर कराया जाता है। कक्षा 2 का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बच्चे को कक्षा 3 में निकटतम प्रा० वि० में प्रवेश दिया जाता है। 50 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम होने पर संबंधित आचार्य जी को भविष्य में मानदेय पर बुलाने न बुलाने का निर्णय ग्राम पंचायत करती है।

## शिक्षा गारन्टी योजना :

हमारे संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम जनपद में संचालित कराया जा रहा है।

## शिक्षा गारन्टी योजना :

इसके अन्तर्गत जनपद में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ऐसे गांव या मजरे जहां। किमी० की परिधि में कोई परिषदीय प्रा०वि० नहीं है वहां पर शिक्षा गारन्टी योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था सुलभ करायी गयी है।

जनपद में संचालित शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों का विवरण।

क्र सं०	विकास खण्ड का नाम	विद्या केन्द्र की सं०	कुल नामांकित बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग
1.	परदहा	18	273	275	548
2.	कोपागंज	19	286	287	573
3.	घोसी	19	288	286	574
4.	बडरांव	11	168	167	335
5.	रतनपुरा	33	499	500	999
6.	फतेहपुर मंडाव	15	227	230	457
7.	मुहम्मदाबाद	04	63	65	128
8.	रानीपुर	34	513	515	1027
9.	दोहरीघाट	22	334	336	670
	योग	175	2651	2661	5312

केन्द्र स्थल चयन:

शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों की स्थापना ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव पारित कर किया गया है।

संचालित समय :

ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुति पर विद्या केन्द्र का संचालन किसी सार्वजनिक विवाद रहित स्थान पर किया जा रहा है। जो कि बच्चों की पहुँच की दृष्टि से उपयुक्त होता है।

संचालन समय :

विद्या केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे संचालित किया जाता रहा है। पूरे शैक्षिक सत्र में 900 घंटे शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। आचार्य जी द्वारा प्रतिदिन एक घंटे शिक्षण कार्य हेतु कक्षा पूर्व तैयारी की जाती है तथा सप्ताह में कम से कम दो बार अभिभावकों तथा ग्राम समुदाय से सम्पर्क करना अनिवार्य हो जाता है। आचार्य जी द्वारा केन्द्र को शैक्षिक उन्नयन हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावकों की बैठक आयोजित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण :

चयनित आचार्य का प्रशिक्षण केन्द्र संचालन के पूर्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया मऊ में एक माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवधि में उन्हें मानदेय के रूप में कोई धनराशि नहीं दी जाती है।

पर्यवेक्षण :

विद्या केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमी के सहयोग एवं नियमित प्रभावी पर्यवेक्षण का कार्य न्याय पंयायत समन्वयक द्वारा किया जाता है। उसके अतिरिक्त उनके द्वारा आचार्य जी की मासिक बैठकें कहीं आयोजित की जाती हैं, इसके अतिरिक्त वी०आर०सी० समन्वयक जिला समन्वयक (डी०पी०ई०पी०) तथा प्रवक्ता डायट, सहायक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी अकादमी सहयोग प्रदान किया जाता है।

## पाठ्य पुस्तके एवं निःशुल्क सामग्री:

प्रत्येक विद्या केन्द्रों को साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु 2350 रु० जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सूची के अनुसार सामग्री क्रय करके केन्द्र को उपलब्ध करा दी जाती है। पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु प्रति केन्द्र 1000 रुपये उपलब्ध कराया गया है। जिसके द्वारा बच्चों को निर्धारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है।

## मूल्यांकन :

केन्द्र पर अध्ययनरत कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का तिमाही छमाही एवं वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर कराया जाता है। कक्षा 2 का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बच्चे को कक्षा 3 में निकटतम प्रा० वि० में प्रवेश दिया जाता है। 50 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम होने पर संबंधित आचार्य जी को भविष्य में मानदेय पर बुलाने न बुलाने का निर्णय ग्राम पंचायत करती है।

## सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत-6-14 वयवर्ग के सभी प्रकार के विद्यालय के बाहर शाला त्यागी तथा बाल श्रमिक/कामकाजी बच्चों के लिये एवं बालिकाओं के लिये शिक्षा की व्यवस्था रखी गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि उक्त वय वर्ग का कोई भी बालक-बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जाय।

## वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के ऐसे सभी बच्चे जो औपचारिक विद्यालय से बाहर, शाला त्यागी, बाल श्रमिक कामकाजी बच्चों एवं बालिकाओं के लिए जो शिक्षा से वंचित रह गये हैं के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था



के अन्तर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि उक्त वय वर्ग के कोई भी बालक/बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जाय। इस दृष्टि से बच्चों की विशिष्ट आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक शिक्षा की अलग-अलग मॉडल दिये गये हैं विकास खण्डवार विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्न सारिणी में प्रदर्शित की गयी है।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या –

क्रस0	ब्लाक का नाम	विद्यालय न जाने वाले 7+-10+ वय वर्ग			11-14 वय वर्ग विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	दोहरी घाट	277	341	618	57	63	120
2.	फतेहपुर मंडाव	276	354	630	129	117	246
3.	घोसी	973	916	1889	1284	799	2083
4.	बडरांव	163	208	371	202	216	418
5.	कोपागंज	48	44	92	218	36	254
6.	परदहा	124	129	253	174	174	348
7.	रतनपुरा	34	65	99	224	92	316
8.	मुहम्मदाबाद	645	767	1412	393	354	747
9.	रानीपुर	195	169	364	260	299	559
10.	नगरक्षेत्र	181	235	416	238	153	391
	महायोग	2916	3228	6144	3179	2303	5482

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके। इस दृष्टि से क्षेत्रवार विशिष्टता की जानकारी प्राप्त की गयी है। तदनुसार वैकल्पिक शिक्षा के रूप में शिक्षा गारन्टी योजना, शिक्षा घर, विद्यालय वापस चलो, समर कैम्प तथा ब्रिज कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर जन प्रतिनिधियों, जन समुदाय, संबंधित शिक्षा अधिकर्मी और अन्य विभागों के साथ बातचीत तथा विचार विमर्श करके निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

नवाचार शिक्षा, विद्यालय में बच्चों के ठहराव की तैयारी:

प्रायः यह देखा जाता है कि माता-पिता या शिक्षक बच्चों को जोर जबरदस्ती से विद्यालयों में प्रवेश के लिये ले आते हैं। बच्चे अनमने भाव से विद्यालय आते हैं। या रोते हुये आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय का वातावरण उनके घरेलू वातावरण से भिन्न होता है। घर में स्वतंत्रता पूर्वक अपने समयस्को के साथ खेलते हैं और आनन्दित होते हैं। यदि विद्यालय में खेलकूद और आनन्दमय वातावरण का निर्माण किया जाय तो निश्चित ही उनका मन विद्यालय में लगेगा इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि सत्र के प्रारम्भ में लगभग एक से डेढ़ माह तक विशेषकर कक्षा 1 के बच्चों के लिये ऐसे कार्यक्रम रखे जायेंगे जिनमें मनोरंजन अधिक हो। यह कार्यक्रम निम्नलिखित हो सकते हैं।

1. रिंग छल्ले गेंद
2. रंग विरंगे गुटकों के साथ विभिन्न प्रकार की आकृतियां
3. जानवरो पक्षियों के चित्रों के कटआउट देखकर उनको जुड़वाना।
4. छोटे कागजों पर रंगीन पेन्सिलों से चित्रों को बनाना।
5. बाल सुलभ कविताओं को नाच उछल कूद द्वारा गाना और उनसे गवाना
6. रंग विरंगे चित्रयुक्त पुस्तकों को देखकर उनमें बने हुये चित्रों के विषय में बच्चियों से बातचीत करना।
7. मिट्टी की गोलियों, खिलौनों, कागज की नाव, पतंग, हवाई जहाज आदि बनवाना।
8. विद्यालय के प्रांगण में खेलकूद के उपकरणों को लगवाना
9. सुन्दर वातावरण का सृजन जिसमें रंग विरंगे फूलों पौधों को लगवाना।

इन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों को धीरे-धीरे लेखन की ओर आकर्षित कराये

जायेंगे। इसके लिये विद्यालयों में निम्नलिखित सामग्री देने का प्रस्ताव रखा है।

1. रिंग (छल्ले, गेंद, कूदने की रस्सी, उम्बल, लेजिंग, आदि)
2. ढोलक, हरमोनियां, झांझ मजीरा आदि।
3. विभिन्न प्रकार की आकृतिया बनाने हेतु प्लास्टिक के रंग विरंगे गुटके चित्रों के कटाउट।
4. चित्रोंवाली बाल कहानी की पुस्तकें।
5. पतंगी कागज। चार्ट कैंची, रंगीन पेन्सिलें आदि।

इनके उपयोग को देखते हुए इसी प्रकार की अन्य मनोरंजक एवं ज्ञान, वर्धक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 1 में सत्रारम्भ में चलाया जायेगा। पीटी व्यवसाय से जुड़े कार्यक्रम को नियमित रूप से प्रतिदिन अंतिम वादन में चलाया जायेगा इन कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवाचार शिक्षा केन्द्र / शिक्षा गारन्टी केन्द्र /  
ए.आई.ई. केन्द्र

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में 88 विद्या केन्द्र एवं 2001-02 में 87 केन्द्र संचालित हैं। इसी प्रकार 2000-01 में 15 वैकल्पिक केन्द्र एवं 2001-02 में 100 तथा वर्ष 2002-03 में 60 केन्द्र संचालित हैं। इसमें लगभग 50 वैकल्पिक केन्द्र मकतब / मदरसों के सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले ई0जी0एस0, ए0आई0बी0, डी0पी0ई0पी0 मॉडल केन्द्र, बैक टू स्कूल कैम्प, ब्रिज कोर्स एवं समर कैम्प का विवरण:-

वर्ष	02.03	03.04	04.05	05.06	06.07
मकतब / मदरसे	0	0	0	50	50
ज्ञान केन्द्र / ए.आई.ई. रच्च प्राथमिक	0	27	27	27	27
ज्ञानशाला / ई.जी.एस.	0	0	0	175	175
डी0पी0ई0पी0 मॉडल केन्द्र / ए.एस.	0	0	0	125	125
बैक टू स्कूल केन्द्र	1	1	1	1	1
ब्रिज कोर्स (आवासीय)	1	1	1	1	1
समर कैम्प	0	0	0	0	0
गैर आवासीय ब्रिज कोर्स		92	30	30	30

विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण-

कारण	5+ - 6+ आयु वर्ग		7 - 10+ आयु वर्ग		11 - 14 आयु वर्ग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
अपने घर के कार्यों में लगे रहना	0	0	765	1180	967	1012
मजदूरी में लगे रहना।	0	0	128	57	387	314
भाई-बहनों की देखभाल	0	0	615	694	227	254
विद्यालय दूर रहने के कारण	0	0	183	279	79	63
अन्य	0	0	1225	1018	1519	660

उपरोक्त बच्चों में से 6492 बच्चों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31 अगस्त 2003 तक नामांकित कराया जा चुका है। शेष 5134 बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नामांकित कराया जायेगा।

1. **नवीन प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक केन्द्र**— विद्यालय दूर रहने के कारण 462 बच्चें विद्यालय नहीं जाते हैं तथा 2243 बच्चें अन्य कारणों से विद्यालय नहीं जाते हैं। वर्ष 2003-04 में जनपद में 18 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। जिसमें कुल 900 बच्चें नामांकित हो जायेंगे। तथा 60 वैकल्पिक केन्द्र (डी.पी.ई.पी.) भी संचालित किये जा रहे हैं। इस प्रकार 2700 बच्चें शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ जायेंगे।

2. **ई.सी.सी.ई. केन्द्र :-**

7 से 10+ वय वर्ग के 1309 बच्चें छोटे भाई-बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते। उनको आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा। 50 ई.सी.सी.ई. केन्द्र डी.पी.ई.पी. योजना से पूर्व में संचालित हैं।

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ई.सी.सी.ई. केन्द्र	50	100	150	150
लाभान्वित बच्चें	1500	3000	4500	4500

**नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय :-**

जनपद में वर्ष 2003-04 में 99 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें लगभग 4000 बच्चें नामांकित करा लिये जायेंगे।

**ए.आई.ई. केन्द्र :-**

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिये 27 ए.आई.ई. केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें 540 बच्चें शिक्षा ग्रहण करेंगे।

**आवासीय ब्रिज कोर्स :-**

जनपद में प्रति वर्ष 1 आवासीय ब्रिज कोर्स स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है। जिसमें 60 बालिकाओं को प्रतिवर्ष नामांकित कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये मजदूरी के कार्य में लगी रहने वाली बालिकाएं होंगी।

### गैर आवासीय ब्रिज कोर्स :-

जनपद के प्रत्येक न्याय पंचायत में 1 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। जिसमें वर्षवार 6 से 14 वय वर्ग के लाभान्वित होने वाले बच्चों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
ब्रिज कोर्स की सं०	92	30	30	30
लाभान्वित बच्चें	3680	1200	1200	1200

इसमें विभिन्न वर्षों में शाला त्याग करने वाले बच्चों को नामांकित कराया जायेगा।

## ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनपद में विगत दो वर्षों से डी.पी.ई.पी. III चलायी जा रही है जिसके तहत विद्यालयों में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गये हैं। किन्तु अद्यतन शत-प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाया है। सम्प्रति जिले की शालात्याग दर 25 प्रतिशत है जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पूर्व 58 प्रतिशत थी जनपद के आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अभी भी शालात्याग दर अधिक है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 78 विद्यालयों में हैण्डपम्प 73 विद्यालयों शौचालय बनाये गये। बढ़ते हुए छात्र नामांकन को देखते हुए 250 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य का प्राविधान किया गया है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यापन क्रिया आधारित तथा बाल केन्द्रित शिक्षा अध्यापकों में बोधात्मक प्रशिक्षण भाषा गणित एवं अन्य विभागों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। बच्चों के ठहराव में वृद्धि हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण कराया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी बालक एवं सभी वर्ग के बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही है। इस प्रकार डी.पी.ई.पी.-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद अभी बच्चों के शाला त्याग की दर बहुत अधिक है इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि विद्यालयों में बच्चों के शत-प्रतिशत ठहराव के लिए विद्यालयों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। उसके विवरण अग्रतर अंकित हैं।

11-14 वय वर्ग का जनसंख्या वितरण

जनपद-मऊ

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	11-14 वय वर्ग की कुल जनसंख्या			11-14 वय वर्ग का कुल नामांकन									स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	परिषदीय			मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त			कुल योग			बालक	बालिका	योग
					बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
1.	दोहरी घाट	3287	3037	6324	1301	1349	2650	1929	1625	3554	3230	2974	6204	57	63	120
2.	फतहपुर मण्डाव	7297	6305	13602	1817	1853	3670	5351	4335	4686	1168	6188	13356	129	117	246
3.	घोसी	6972	6287	13259	1406	1617	3023	4091	2465	6531	5688	5488	11176	1284	799	2083
4.	बडरौव	7329	6373	13702	1084	1081	2175	6043	5066	11109	7127	6157	13284	202	216	418
5.	कोपागंज	6745	5265	12010	935	1041	1976	5692	4188	9880	6527	5229	11756	218	36	254
6.	परदहा	5195	4649	9844	544	584	1128	4477	3891	8368	5021	4475	9496	174	174	348
7.	रतनपुरा	7700	6300	14000	895	837	1532	6581	5371	11952	7476	6208	13684	224	92	316
8.	मुहम्मदाबाद	10364	8304	18668	2010	1583	3593	7961	6367	14328	9971	7950	17921	393	354	747
9.	रानीपुर	11291	10036	21307	1919	1759	3678	9092	7978	17070	11011	9737	20748	260	299	559
10.	नगर क्षेत्र	8136	7632	15768	526	543	1069	7372	6410	14382	7898	7479	15377	238	153	391
	योग	74296	64188	138484	12437	12257	24494	58680	49628	108308	71117	61885	133002	3179	2303	5482



उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता

जनपद-मऊ

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक (स-य)	एस.एस.ए. से प्रस्तावित नवीन विद्यालय हेतु	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष	एस.एस.ए. प्रस्तावित
1.	2002-03	136	21	785	460	325	63	136	21	785	626	159	17
2.	2003-04	157	99	1280	590	290	297	157	99	1280	1020	241	17
3.	2004-05	256	0	1280	1280	0	0	256	0	1280	1056	294	100
4.	2005-06	256	0	1280	1280	0	0	256	0	1022	1022	0	100
5.	2006-07	256	0	1280	1280	0	0	256	0	1022	1022	0	94
	योग		120	768	768	409	360		120	1022	1022	0	258

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर माहवार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

## अतिरिक्त कक्षा कक्ष :

वर्तमान में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या 1,72,943 वर्तमान में जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के कुल कक्षा कक्षों की संख्या 2158 है प्रस्तुत योजना में छात्र एवं अध्यापकों के अनुसार 40:1 मानक में कुल 4302 अध्यापकों की आवश्यकता है। वर्तमान में कुल 3780 अध्यापक कार्यरत हैं कुल कक्षा कक्ष 2158 हैं इस प्रकार कुल 2144 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी। जनपद में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत छात्र नामांकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिसके अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता वर्षवार शिक्षकों के अनुपात में होगी जो निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित की गयी है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 3 कक्षीय करने हेतु 762 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्राविधान किया गया है। छात्र संख्या के अधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

## प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

मरु

क्रसं०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन वि० के कक्ष	योग 4+5	आवश्यक कक्षा कक्ष	एस.एस.ए में प्रस्ताव
1	2002-03	164296	4107	2158	0	2158	1949	0
2	2003-04	172943	4324	2158	36	2194	2130	0
3.	2004-05	187297	4682	2194	—	2194	2488	350
4.	2005-06	147155	4929	2544	—	2544	2385	350
5.	2006-07	213585	5340	2735	—	2735	2605	62
योग								762

### 3. शौचालय :

वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय शौचालय युक्त करने के उद्देश्य 69 प्राथमिक विद्यालय एवं 48 उच्च प्राथमिक विद्यालय कुल 117 शौचालय की आवश्यकता है ।

#### सारणी

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
संख्या	12	9	27	40	29	117

### 4. विद्यालय भवन का पुर्ननिर्माण :

जनपद में 66 प्रा०वि० 20 उ०प्रा०वि० ऐसे हैं जो भवन हीन/जर्जर हैं इन विद्यालयों की कक्षाएँ खुले मैदान या पेंड के नीचे लगती हैं। जिसके कारण सामान्यतया बच्चे मध्यावकाश के बाद वापस नहीं आते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे कुछ समय तक विद्यालय आने के पश्चात विद्यालय आना बन्द कर देते हैं। जिससे शाला त्याग की दर में वृद्धि होती है। इसको रोकने के लिए 66 प्रा०वि० 20 उ०प्रा०वि० विद्यालयों में पुर्ननिर्माण प्रस्तावित है।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
प्रा० स्तर	0	0	36	30	66
उ०प्रा० स्तर	0	3	10	7	20

### पेयजल व्यवस्था :

विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य आवश्यकता है इससे भी बच्चों के ठहराव में वृद्धि होती है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय में हैंड पम्पों की व्यवस्था का प्राविधान जनपद के पुराने एवं नवीन प्रस्तावित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैंड पम्पों का प्रारूप निम्न सारणी में व्यक्त किया गया है।

#### पेयजल सारणी

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
संख्या प्रा०+उ०प्रा०वि	0	0	20	20	40

भवन मरम्मत एवं रख-रखाव-

विद्यालय भवन का रख-रखाव ग्राम शिक्षा समिति के उपर निर्भर है। साधन के अभाव के कारण ग्राम-शिक्षा समितियां विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रख-रखाव में अपेक्षित सहयोग नहीं दे पा रही है। जनपद में 135 प्राथमिक विद्यालय 23 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है जिनकी मरम्मत हेतु 20,000 प्रतिविद्यालयों की दर से वित्तीय व्यवस्था हेतु प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ 84 प्राथमिक विद्यालय एवं 27 उ०प्रा०वि० दीर्घ मरम्मत योग्य है इनकी मरम्मत हेतु 70,000 प्रति विद्यालय की दर से प्रस्ताव रखा गया है।

विद्यालयों में ठहराव को शत-प्रतिशत बनाये रखने के लिये विद्यालय को आकर्षक एवं सुसज्जित करना आवश्यक है। इसके लिये प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 2000 प्रति विद्यालय देने का प्रस्ताव रखा गया है।

क्रसं०	वि०ख० का नाम	लघु मरम्मत		दीर्घ मरम्मत		जर्जर/भवन 'हीन		
		प्रा०वि०	उ०प्रा० वि०	प्रा०वि०	उ०प्रा० वि०	प्रा० वि०	उ०प्रा० वि०	निर्माण वर्ष
1.	मुहम्मदाबाद	41	04	03	04	1	2	1950-60
2.	घोसी	37	04	10	05	9	2	1908-60
3.	रतनपुरा	28	04	10	04	9	2	1958-60
4.	परदहा	01	02	02	02	1	2	1961-65
5.	कोपागंज	14	02	01	01	10	2	1960-62
6.	दोहरीघाट	03	—	02	01	7	1	1965-68
7.	रानीपुर	35	02	19	01	12	2	1955-60
8.	बड़रॉव	04	—	05	04	13	2	1960-62
9.	फतेहपुर मण्डांव	09	04	09	05	4	2	1940-60
10.	नगर क्षेत्र	—	—	03	—	0	0	—
	योग	135	23	64	27	66	17	

जनपद में 135 प्रा० वि० तथा 23 उच्च प्रा० वि० लघु मरम्मत योग्य हैं। जिनकी मरम्मत हुत रू० 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 64 प्राथमिक विद्यालय तथा 27 उ० प्रा० दीर्घ मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू० 70,000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा दीर्घ मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार, राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

इस प्रकार 100 लघु तथा 75 दीर्घ कुल 175 भवन मरम्मत का कार्य निम्न वर्षों में कराया जायेगा।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
लघु मरम्मत	0	0	30	70	100
दीर्घ मरम्मत	0	0	25	50	75

#### 8. अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र :

गुणात्मक एवं बोधपूरक शिक्षा बच्चों के ठहराव में वृद्धि करती है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में बच्चों के अनुपात 40:1 के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकें। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बच्चों के नामांकन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त शिक्षकों को शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव रखा गया है। जो निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

मरु

वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग 3+4	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक प्रस्तावित शिक्षक	एस.एस.ए. में प्रस्तावित अतिरिक्त शिक्षा मित्र	अतिरिक्त शिक्षा मित्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	172943	3239	392	392	4323	392	196	
2004-05	187297	3435	888	4322	4682	359	180	375
2005-06	197155	3615	1067	4682	4929	247	123	124
2006-07	213585	3738	1191	4929	5340	411	206	205

## बालिका शिक्षा :

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्व पूर्ण स्थान दिया गया है। वर्ष 1986 में महिला साक्षरता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। तदनुसार बालिका शिक्षा के लिये विशेष कार्य क्रम चलाया जा रहा है।

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अधीन 6-14 वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। जिसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक समानता एवं एकता को बनाये रखने के लिये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना

। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। इतना ही नहीं इस अभियान में सन् 2008 तक लिंग भेद एवं सामाजिक असमानता को भी दूर करने का लक्ष्य निर्धारित है। जनपद के बालिका शिक्षा के परिदृश्य का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड बड़रौव एवं रतनपुरा की महिला साक्षरता दर सबसे कम है।

## बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल हैं इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूल का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाधकता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणाएँ और अन्ध विश्वास जटिल कारण हैं। बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है। जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है जो कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रेरित नहीं कर पाता है, और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता है। शादी, त्योहार, मेलों, के अवसर पर भी इनको घर पर ही रोक लिया जाता है। जिससे कि स्कूल की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

1. जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।
2. जेण्डर सम्वेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।
3. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।
4. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेद-भाव आधारित क्रिया-कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना।
5. ई.सी.सी.ई. तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।
6. महिला सामाख्या कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के लिए संगठित करना।
7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्त्व

कार्यक्रम : समुदाय को गतिशील बनाने हेतु:

बालिकाओं की शिक्षा हेतु सामुदाय के साथ कार्य करना। प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम विद्यालय में पढ़ने वाल बच्चे की एक महिला संरक्षक/अभिभावक का होना आवश्यक है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1. बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रबंधन में स्थानीय सामुदाय की भागीदारी को बढ़ावा।
2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला सामाख्या के साथ-साथ उनका समन्वयन
3. ग्राम शिक्षा समिति माता-शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ
4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढ़ाना।

मीना कैम्प:

जिला प्रा० शि० कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक बचनबद्धता के विकास के लिए मीना कैम्पेन नामक एक विशिष्ट योजना का आरम्भ किया गया है। ये यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार भव्य हास्य सामग्री का प्रयोग इस योजना में किया गया है। जिसके द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कराना इसका मूल उद्देश्य है।



## माँ-बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से मां बेटी मेलों और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है। इसके क्रियान्वयन के लिए एक वर्ष के अन्दर करीब 222 बाप-बेटी मेलों एवं संसदों का आयोजन किया है। इस मेलों का मुख्य उद्देश्य है।

1. बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाना और इसके लिए आवश्यक सामग्री बांटना।
2. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को शिक्षित करना।
3. शिक्षकों अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना करना।
4. बालिकाओं द्वारा अनुभव की गयी समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना।
5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन लिंग भेद समाप्त करना।
6. वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कार्यशालाओं का आयोजन करना एवं उपस्थिति समूह से इस प्रणाली को व्यक्ति की गई आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तर दायी व प्रभाव कारी बनने पर वार्तालाप करना।

## कला जत्था का आयोजन :

चयनित माडल क्लस्टर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एवं समुदाग में संवेदना पैदा करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कला जत्था का आयोजन न्याय पंचायत समन्वयक के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु तीन विकास खण्डों के 10-10 कलाकारों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को विशेष रूप से प्रेरित किया जायेगा। बालिकाओं को अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय में दाखिला दिलाकर ठहराव में वृद्धि करना है।

## ठहराव परिक्रमा का आयोजन :

न्यायपंचायत समन्वयक के माध्यम से उन विद्यालयों के समीपस्थ बस्तियों में ठहराव परिक्रमा करायी जायेगी इसमें से बच्चियां नामांकन के बाद पूरे समय तक स्कूल में नहीं आती हैं। उनके मासिक उपस्थिति के आधार पर विद्यालयों के बच्चों द्वारा ये परिक्रमा अयोजित करायी जायेगी। ताकि बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि हो सके।

**बालिका शिक्षा के क्षमता सम्बर्द्धन हेतु कार्यक्रम :**

1. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा महिला संवेदीकरण हेतु अनन्त पैकेज को विकसित किया गया है। उसके माध्यम से समस्त न्यायपंचायत समन्वयक/ब्लाक समन्वयक और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किया जायेगा और तीन दिवसीय होगा। जिसके अनुश्रवण एवं समीक्षा की जिम्मेदारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की होगी।

2. पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण "प्रयास एवं संकल्प" प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण माड्यूल में बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों में ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक एवं तीन अभिभावकों के अलावा गांव के उत्साही युवक माताएं एवं बहनें होगी जो विद्यालयी शिक्षा के नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता सम्बर्द्धन में अपना योग प्रदान करेंगी। इनको प्रशिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिला शिक्षा के सम्बर्द्धन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ सके तथा स्थानीय पंचायती संस्थायें स्वयं की जिम्मेदारी समझकर महिला साक्षरता को सम्बर्द्धित कर सकें। साथ ही योजना समाप्त होने के बाद उत्तरदायित्वों का निर्वाहन वखूबी निभाकर इन कार्यक्रमों को जारी रख सकें।

**समानता के लिए शिक्षा :**

महिला के संगठनों के अतिरिक्त महिला सामाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। महिला सामाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य अस्तक्षेप सामुदायों जैसे महिला संघों के साथ मिलकर विकसित किये गये हैं।

इन प्रयासों से (6-14 आयु वर्ग के बालिकाओं एवं बालकों के लिए) किशोरी केन्द्र महिला शिक्षण केन्द्र खोलना सम्मिलित है। महिला सामाख्या का शिक्षा के प्रति निम्न दृष्टिकोण है।

1. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर
2. व्यक्तिगत विविधता के आदर एवं सोच विचार के लिए समय।
3. सामुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संघों की भागीदारी के लिए समर्थन बनाना।
4. शैक्षिक प्रतिभाओं में जेण्डर सम्बेदनशीलता
5. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।

उत्तर प्रदेश में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जेण्डर भेद पर आधारित शैक्षिक असमानता को ध्यान में रखते हुए सामाख्या की वैकल्पिक शिक्षा के आवास एवं प्रक्रिया महत्वपूर्ण हैं।

**बालकेन्द्र :**

संघ की महिलाओं ने जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझा तो उन्होंने अपने घर के पास बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्ति की इसके पश्चात बाल केन्द्रों की संकल्पना एवं स्थापना की गयी। इस विधा ने उन बच्चों विशेष रूप से उन बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जिनकी पहुँच औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नहीं है।

**किशोरी केन्द्र :**

बालकेन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है किन्तु वे ऐसी किशोरियां जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है। उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सकते। संघ की महिलाओं समुदाय एवं किशोरियों से विचार विमर्श के पश्चात् इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की गयी। इन किशोरी केन्द्रों ने किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए अपने यहां अन्तरिक स्तर पर पढ़ने का अवसर दिया। समय का लचीलापन तथा स्थानीय महिला शिक्षिका से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई।

**किशोरी संघ:**

किशोरी संध का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ है। यह किशोरियों के समूह है जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण कानूनी साक्षरता व्यवसायिक प्रशिक्षण व जीवन कला जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

**वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :**

प्राथमिक शिक्षायें बच्चों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जायेगा। जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय में नहीं जा पा रही हैं।

ब्रिज कोर्स व ग्रीष्मकालीन सत्र चलाये जायेंगे। विद्यालय में बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा। वे सभी प्रयास किये जायेंगे जो ठहराव वाले अध्याय में वर्णित किये गये हैं।

**बालशाला :**

बालशाला का लक्ष्य छोटे बच्चों तथा 11 वर्षीय भाई बहनों पर है यह बच्चों के दल को प्राथमिक शिक्षा और 3-8 वर्ष के बच्चों को स्कूल में उत्साहित करके प्रदान किया जायेगा।

**प्रहर पाठशाला :**

प्रहर पाठशाला एक रणनीति है जो मुख्यतः 9+बालिकाओं के लिए है जिन्होंने विद्यालय में जाना आरम्भ नहीं किया है या जो विद्यालय छोड़ चुके हैं। 9-14 आयु के वर्ग के बच्चों के लिए 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला का आयोजन किया जा सकता है।

**मकतब मदरसा :**

मुस्लिम बालिकाओं को जो अधिक संख्या में स्कूल से बाहर हैं उनके लिए मकतब/मदरसों के सशक्तीकरण की नीति तैयार की गयी है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मदरसों वातावरण में बालिकाओं एवं शिक्षकों को औपचारिक शिक्षा में भाग

लेने के लिए प्रेरित करना। साथ-साथ औपचारिक पाठक्रम को भी मदरसों/मकतबों का प्रारम्भ करना।

बालिकाओं ठहराव हेतु रणनीतियाँ :

माता शिक्षक संघ :

प्रत्येक विद्यालयों में 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर माता शिक्षक संघ बनाया जायेगा तथा उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में डी.पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं। उसमें तीव्रता लायी जायेगी।

महिला प्रेरक दल :

ऐस गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहां बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/विद्याकेन्द्र/ज्ञानशाला/ज्ञानकेन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे। महिला प्रेरक दल में 15 महिलायें सदस्य होंगी।

ठहराव परिक्रमा तथा नामांकन :

1. बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह गांव स्तर पर ठहराव परिक्रमा निकाली जायेगी जिसमें बच्चे, अध्यापक व अभिभावक व ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे विद्यालय कम

उपस्थिति होते हैं उनके घर के बाहर खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिए दबाव बनाया जायेगा।

2. उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए प्रत्येक बच्चे को हरा, पीला या लाल निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर उनको यह अवगत कराया जायेगा कि उनकी उपस्थिति किस स्तर की है।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत में अभिभावक सम्मेलन :

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्ध स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर उन्हें प्रेरित किया जायेगा।

शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रांत समारोह आयोजित कर बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जायेगा जो बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं तथा जिनका सम्प्राप्ति स्तर अच्छा है और इसी में बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

को-हार्ट स्टडी :

अधिकतम शाला त्याग वाले विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों का उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर शाला त्यागदर निकालकर ऐसे बच्चों को सूची बद्ध किया जायेगा। जिन्होंने 5 साल में विद्यालय छोड़ा है। इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं ऐसे बच्चों को ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में नामांकित कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षकों का जेण्डर सम्बेदीकरण प्रशिक्षण :

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें सम्बेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का तीन दिवसीय जेण्डर सम्बेदीकरण प्रशिक्षण अनन्त माड्यूल के आधार पर आयोजित किया जायेगा। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी इस तरह के माड्यूल को विकसित कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों, उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा,

## उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव :

शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के परिवारिक एवं गैर पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

कार्यानुभव (एस0यू0पी0डब्लू0) हेतु वर्षवार, लिए जाने वाले उ0प्रा0 विद्यालय निम्न हैं:-

वर्ष	02.03	03.04	04.05	05.06	06.07
जू0 हा0	0	0	10	20	30

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रुचि एवं अभिावकों की जागरूकता अपेक्षा अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने मिट्टी के खिलौने कागज के सामान आबदि बनाने क प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

## विशेष वर्ग की समेकित शिक्षा :

भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। कुछ बच्चे विकलांगता क उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एवं उनमें शिक्षा प्रदान करने की भावना होती है लेकिन विकलांग शिक्षा के अभाव में अशिक्षित ही रह जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

## विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :

विकलांगता / अक्षमता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता

3. शारीरिक विकलांगता
4. मानसिक विकलांगता
5. अधिगम अक्षमता

विकलांगता/अक्षमता के कारण :

जहां तक विकलांगता का शरीर में पाये जाने का प्रश्न है वहां यह दो प्रकार की होती है।

1. जन्म से – यह विकलांगता जन्म से होती है।
2. जन्म के बाद से— यह विकलांगता जन्म लेने के बाद वातावरण दुर्घटना रसायनिक प्रभाव अथवा बीमारी से हो जाती है।

वर्तमान में 6-18 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का विवरण

क्रसं०	विकलांगता के प्रकार	बालक	बालिका	योग
1.	दृष्टि विकलांगता	536	213	749
2.	श्रवण एवं वाणी विकलांगता	741	437	1178
3.	शारीरिक विकलांगता	3747	2613	6360
4.	मानसिक विकलांगता	473	315	788
5.	अधिगम क्षमता	1176	780	1956
	योग	6673	4358	11031

उपरोक्त बच्चों में से वर्ष वार निम्नलिखित बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
विकलांग बच्चों की संख्या	1488	1800	1800	1800



विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता में कमी चलने में कमी, समाज से उपेक्षित आदि बातों का बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ता है परिवार में ऐसे बच्चे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ भी अधिक पड़ता है। ऐसे बच्चों को हर समय अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। समाज से भी अपेक्षा रहती है कि समाज ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दे तथा प्रोत्साहित करे।

अक्षम बच्चों के शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां हैं। अनेक शिक्षकों बुद्धिजीवियों का विश्वास है कि अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता है जबकि हम वास्तव में ऐसे प्रयास नहीं कर पा रहे हैं।

यदि परिवार एवं समाज ऐसे बच्चों के शिक्षा के प्रति ध्यान दे तो विकलांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यदि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो ऐसे बच्चे भी कठिन कार्य करने से नहीं हिचकेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना, अपने परिवार का दृष्टिकोण बदलना होगा। इन बच्चों को साहनुभूति की ही नहीं, सहायता की भी आवश्यकता है।

जनपद मऊ में माह अक्टूबर में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित हुआ है जिनका कार्य विकलांगों को निःशुल्क सहायता देना है। सभी प्रकार की विकलांगता के लिए जनपद मऊ सर्वेक्षण हुआ एवं विकलांग बालक बालिकाओं को चिन्हित किया गया है।

विकलांग बच्चों को शिक्षा देने से पहले हमें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है यह प्रशिक्षण 15 दिन का होगा प्रति विकास खण्ड से 4-4 मास्टर ट्रेनर बनाये जायेंगे जो शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। स्वयं सेवी संगठनों से भी मास्टर ट्रेनर बनाये जायेंगे।

**शैक्षिक सामग्री :**

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।

## स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी: -

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता देने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का सम्बेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग लिया जायेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा चयन किया जायेगा। इन प्रस्तावों का डेस्कटाप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जायेगा तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा इनका चयन किया जायेगा।

## मॉडल क्लस्टर डेवलमेंट एप्रोच:-

डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत 2002-03 में कुल 15 मॉडल क्लस्टर चयनित किए गये थे। इनके चयन का मुख्य आधार निम्न महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र थे।

मॉडल क्लस्टर में बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा मोना कैम्पेन, कला जत्था, मां-बेटी मेला, समस्त शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण, महिला-प्रेरक समूह का गठन कराया गया है। इन्हें सर्वशिक्षा अभियान में भी चलाया जायेगा।

वर्ष	2005-06	2006-07
चयनित न्याय पंचायत	15	15

निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण:- डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत 6-11 वय वर्ग के अनुसूचित जाति के बालक एवं समस्त वर्ग के बालिकाओं हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित करायी जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2005-06 से प्राथमिक विद्यालयों में एवं 2002-03 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें समस्त बालिकाओं एवं अनु० जाति के बालकों को वितरित करायी जायेगी। जिसका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	02.03	03.04	04.05	05.06	06.07
प्रा० विद्यालय के बच्चे	0	0	0	185000	200000
उच्च प्रा० विद्यालय	11780	36902	38000	45000	50000

ग्राम शिक्षा समितियों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण:-

बालिकाओं के शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करने हेतु पृथक से ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर क्षेत्र में वार्ड शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसका वर्ष वार विवरण निम्न है:-

वर्ष	02.03	03.04	04.05	05.06	06.07
ग्राम शिक्षा समितियों/ वार्डों की संख्या	0	0	702	0	702

### उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना ही कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी शिक्षको तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10-10 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रू० व्यय किये जायेगे।

वर्षवार	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कम्प्यूटर हेतु उ. प्रा. विद्यालयों की संख्या	0	5	5	10	10

सहायक शिक्षण सामग्री हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त प्रा० वि० /उ०प्रा०वि० के शिक्षकों का विवरण-

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा०वि० शिक्षक+शिक्षा मित्र	-	165	3931	4682	4928
सहायता प्राप्त प्रा०वि० के शिक्षक (प्रति विद्यालय 3)	-	-	156	156	156
उ० प्रा० वि०	396	1518	1280	1280	1280
सहायता प्राप्त उ०प्रा०वि०	-	120	120	120	120

विद्यालय रख-रखाव हेतु प्रा० वि० /उ० प्रा० वि० का विवरण-

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा०वि०	930	948	948	948	948
सहायता प्राप्त प्रा०वि०	52	52	52	52	52
उ० प्रा० वि०	157	256	256	256	256
सहायता प्राप्त उ०प्रा०वि०	40	40	40	40	40

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु अनुसूचित जाति के बालक एवं अन्य वर्ग के बालिकाओं की छात्र संख्या का विवरण (परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय)-

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 ,
परिषदीय प्रा०वि०	—	—	—	170000	178000
सहायता प्राप्त प्रा०वि०	—	—	—	15000	22000
परिषदीय उ० प्रा० वि०	11780	32702	33600	40000	44500
सहायता प्राप्त उ०प्रा०वि०	—	4200	4400	5000	5500

## अध्याय 9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु  
कार्य योजना:—

जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6-14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सफलता पूर्वक शिक्षा की कल्पना की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में महत्वपूर्ण कार्य हुए जिसका परिणाम उत्साह जनक था। पूर्व में अभिभावक केवल अपने बालकों को विद्यालय में भेजने की इच्छा रखते थे उनके खान-पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए सुविधाएं कम दी जाती थी। उनको घर-गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ-साफ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। आज विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या बालकों से कम नहीं है। इस प्रकार हर वर्ग के बालक-बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। साथ ही साथ जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था, वहां अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। आज के बालक क्रियाशील है। वह हर क्षेत्र में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में रुचि ले रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वे ज्ञान के क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं। इस प्रकार नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सब जनपद स्तर पर डायट के निर्देशन में सभी शिक्षा अभिकर्मियों के सहयोग का प्रतिफल है। डायट से लेकर एन. पी. आर. सी. स्तर तक सभी अध्यापक/अभिकर्मी योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं तथा शासन की नीति को समाज के सभी दबे-कुचले लोगों तक ले जाने में प्रयासरत है। डायट के बहु आयामी कार्यक्रम प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को निरंतर प्रगति की ओर ले जा रहे हैं।

डी.पी.ई.पी. (।।।) के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा

सम्पादित क्रियाकलाप :-

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

1-सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण-	3069
2-बी.आर.सी. प्रशिक्षण-	09
3-एनपी.आर.सी. प्रशिक्षण-	92
4-शिक्षा मित्र (डी.पी.ई.पी./बेसिक)-पुनर्बोधात्मक	149
5-आचार्य/अनुदेशक प्रशिक्षण-	244
6- समेकित शिक्षा प्रशिक्षण-	350 (4 ब्लाक)
7- आंगनबाड़ी शिक्षा प्रशिक्षण-	50 कार्यकर्त्री
8-सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण-	
9-श्रेणीकरण	
10- लिंग संबेदीकरण	

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों के गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षण के परिणाम उत्साहवर्धक प्राप्त हुये है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया, मऊ में प्रशिक्षित किया गया। जनपद मऊ.9 विकास खण्डों तथा 92 न्याय पंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय

पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया जो-उनको कार्यो उत्तर दायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों /सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमीक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण, शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलो का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालय की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों के अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा निम्न कार्य कराये गये।

### 1-सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग द्वारा कृत कार्य का विवरण

#### वर्ष 2000-2001

#### (1) बी.टी.सी. प्रशिक्षण (प्रथम वर्ष)

<u>चयन वर्ष</u>	<u>प्रशिक्षणार्थियों की संख्या</u>
1997,98,2000	186

#### वर्ष 2001-2002

#### (2) बी.टी.सी. प्रशिक्षण (द्वितीय वर्ष)

कुल प्रशिक्षार्थियों की संख्या - 186

#### (3) शिक्षा मित्र/आचार्य जी एवं अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण

<u>वर्ग</u>	<u>प्रशिक्षित प्रतिभागियों की सं०</u>
शिक्षा मित्र	99
आचार्य जी	78
अनुदेशक	11



4) बी.टी.सी. (पत्राचार) कार्यशाला का आयोजन

<u>शिविर का अवधि</u>	<u>शिक्षकों की सं०</u>
दिनांक 17-9-2001 से 26-9-2001 तक	101
दिनांक 15-1-2001 से 24-1-2002 तक	101

वर्ष 2002-2003

5) शिक्षा मित्र/आचार्य जी एवं अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण

<u>पद</u>	<u>प्रशिक्षित प्रतिभागियों की सं०</u>
शिक्षा मित्र	137
आचार्य जी	95
अनुदेशक	93

6) शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण:-

<u>अवधि</u>	<u>प्रतिभागियों की संख्या</u>
दिनांक 13-8-2002 से 27-8-2002 तक	75
दिनांक 17-10-2002 से 31-10-2002 तक	93

## 2- पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा कृत कार्यों का विवरण

1- वर्ष 2000-01 में बी.टी.सी. प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष प्रशिक्षणाथियों की संख्या-186

प्रशिक्षण अवधि में बी.टी.सी. द्वितीय वर्ष के छात्रों को स्वमूल्यांकन, बाह्य अधिकारियों द्वारा बी.टी.सी. प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन तथा प्रधानाध्यापक द्वारा मूल्यांकन का व्यवहारिक ज्ञान करवाया गया।

2- शिक्षामित्र, आचार्य जी एवं अनुदेशक प्रशिक्षण वर्ष 2001-2002

डी.पी.ई.पी के.	प्रतिभागियों की संख्या	99
----------------	------------------------	----

अन्तर्गत शिक्षामित्र

प्रशिक्षण

आचार्य जी /	आचार्य जी के प्रशिक्षण में	78
-------------	----------------------------	----

अनुदेशक प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की संख्या	
-------------------	------------------------	--

अनुदेशक प्रशिक्षण में	11
-----------------------	----

प्रतिभागियों की संख्या	
------------------------	--

3- वर्ष 2002-2003 शिक्षा मित्र प्रशिक्षण

प्रतिभागियों की सं०	137
---------------------	-----

4- आचार्य जी / अनुदेशक प्रशिक्षण

आचार्य जी की संख्या	95
---------------------	----

अनुदेशको की संख्या	93
--------------------	----

5- शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

प्रतिभागियों की संख्या-	168
-------------------------	-----

प्रशिक्षण अवधि में शिक्षा मित्र, आचार्य जी एवं अनुदेशकों को प्रशिक्षण के समय मूल्यांकन प्रश्नावली का अध्ययन कराकर प्रश्न बैंक बनाने का ज्ञान कराया गया।

6- निदेशालय के पत्र दिनांक 9-10-2002 के अनुपालन में दिनांक 12-6-2002 को बी.आर.सी. समन्वयको द्वारा प्राप्त क्रियात्मक शोध प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु विशेषज्ञों के गठित समिति द्वारा चयनित एवं संशोधित क्रियात्मक शोध प्रारूप के साथ शिक्षकों, अभिभावकों तथा छात्रों से सम्बन्धित प्रश्नावलियां तैयार कराकर दिनांक 24-10-2002 को निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया। क्रियात्मक शोध प्रस्तावों के शोध शीर्षक निम्नलिखित हैं :-

- (1) अनियमित उपस्थित वाले छात्रों की नियमित उपस्थित वाले करना।
- (2) गतिविधि आधारित शिक्षण के अभाव के कारणों का अध्ययन एवं निराकरण।

7- निदेशालय के पत्र दिनांक 18 जुलाई 2002 के अनुपालन में विद्यालयों के बच्चों के विभिन्न समूहों (सामाजिक आधार पर) द्वारा नैतिक मूल्यों के वरीयता के अध्ययन हेतु शोध प्रस्ताव के साथ (1) छात्रों (2) शिक्षकों (3) अभिभावकों से सम्बन्धित प्रश्नावलियों तैयार कर दिनांक 12-9-2002 का निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया।

8- निदेशालय के पत्र दिनांक 22 मार्च 2003 के अनुपालन में जो विद्यालय में मूल्य परक शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में दिनांक 26-04-03 को जनपद स्तर पर प्राचार्य डायट के निर्देशन में बी.आर.सी., एन.बी.आर.सी. समन्वयको एवं डायट प्रवक्ताओं के परामर्श से कक्षा 1 से 5 तक की समस्त पुस्तकों से कक्षावार, विषयवार एवं पाठवार नैतिक मूल्यों के चिन्हांकन हेतु कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला द्वारा तैयार एवं अनुमोदित आख्याएँ सम्बन्धित अधिकारियों को दिनांक 25-5-2003 को प्रेषित की गयी।

#### कार्यशाला से सम्बन्धित सांख्यिकी

दिनांक	उपस्थित बी.आर.सी./एन.बी.आर.सी. समन्वयको की संख्या	कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों की संख्या
26-4-2003	76	20

### 3-जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा कृत कार्यों का विवरण-

वर्ष 2000-2001	2001-2002	2002-2003
1- ब्लॉक संदर्भ समूह प्रशिक्षण में विभिन्न ब्लॉकों के कुल 171 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।	1- 78 आचार्य जी को प्रशिक्षित किया गया।	1- आचार्य जी/अनुदेशक में 95 आचार्य जी और 93 अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया।
2- प्रारम्भिक बाल देख-रेख तथा शिशु शिक्षा प्रशिक्षण में कुल 35 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।	2- 11 अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया।	
	3- प्रारम्भिक बाल देख-रेख तथा शिशु शिक्षा प्रशिक्षण में 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।	

### 4- सेवा पूर्व विभाग-

संस्थान में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग बी.टी.सी. संस्थागत तथा पत्राचार के प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को उन सभी कार्यों का व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है जिन्हें एक शिक्षक के रूप में करना पड़ता है यथा अनुसंधान, अभ्यास, सर्वे शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्माण, शैक्षिक तकनीकी साधनों का प्रयोग, बहु कक्षा शिक्षण तथा नवाचार इत्यादि। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों/आचार्य जी तथा अनुदेशकों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर योग्य अध्यापकों को तैयार करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है।

5- कार्यानुभव विभाग द्वारा कृत कार्य

वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001- 2002	वर्ष 2002-2003
<p>1- अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण जैसे माचिस की तिली से हैगिंग बाल गया। अण्डे के गत्ते से हैगिंग बाल, प्लास्टिक की चटाई, झण्डी फूल माला इत्यादि।</p> <p>2- बी.टी.सी. प्रथम वर्ष द्वारा टी.एल.एम. का निर्माण कराया गया जैसे फ्लैश कार्ड गिन तार, तम्बोला अक्षर चकरी आदि</p> <p>3- शिक्षा मित्र आचार्य जी एवं अनुदेशकों के प्रशिक्षण के दौरान टी.एल.एम. निर्माण एवं अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कराया गया।</p> <p>4- संस्थान परिसर में पेड़-पौधे लगाये गये एवं परिसर की सफाई प्रति सप्ताह करवाया गया</p> <p>5.-प्राचार्य आवास में नीम का पेड़ अमरूद का पेड़ फूल-पौधे लगवाये गये।</p>	<p>1- बी.टी.सी. प्रथम वर्ष द्वारा अल्पव्ययी सामग्री से टी.एल.एम. निर्माण करवाया जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड, गिन तारा आदि।</p> <p>2- शिक्षामित्र, आचार्य जी एवं अनुदेशकों द्वारा निम्न सामग्री का निर्माण करवाया गया। (1) अल्पव्ययी सामग्री में रोलो प्ले अक्षर चकरी, प्लास्टिक की चटाई इत्यादि। (2) टी.एल.एम., फ्लैश कार्ड, चार्ट, रोल प्ले, कहानी चित्रण आदि। (3) प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे संस्थान परिसर की सफाई करवायी गयी।</p>	<p>1- बी.टी.सी. द्वितीय वर्ष द्वारा अल्पव्ययी वस्तुओं का निर्माण जैसे मिट्टी की गोली, मिट्टी के वर्तन, मिट्टी के फल, सब्जी के माडल।</p> <p>2- शिक्षामित्र, आचार्य जी एवं अनुदेशकों के प्रशिक्षण के दौरान अल्पव्ययी वस्तुओं के निर्माण, प्लास्टिक की चटाई इत्यादि।</p> <p>3- टी.एल.एम. का निर्माण करवाया गया।</p> <p>4- संस्थान परिसर की सफाई प्रशिक्षण के दौरान करवायी गयी।</p>

6- शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा कृत कार्य

वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001- 2002	वर्ष 2002-2003
1- जूनियर विद्यालय के विज्ञान एवं गणित के श्रव्य दृश्य उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण।	1- बी.टी.सी. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में कम लागत से सहायक सामग्री का निर्माण कराया गया।	1- अल्प लागत की श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री निर्माण की प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण।
2- अल्प लागत की श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री निर्माण की प्रशिक्षण	2- जुलाई माह में सर्व शिक्षा अभियान में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के माध्यम से सिहावलोकन एवं प्रगति की समीक्षा की गयी।	2- अल्प लागत से सहायक सामग्री को बनवाया गया।
3- बी.टी.सी. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान अल्प लागत को सहायक सामग्री का निर्माण कराया गया।	3- आडियो - विडियो कैसेट के द्वारा शैक्षिक प्रशिक्षण दिया गया।	3- मीना कैसेट दिखाया गया तथा उसके विषय में जानकारी दी गयी।

7- प्रबन्धन एवं नियोजन विभाग

कृत कार्यो का विवरण

वर्ष 2000-2003 तक

2000-2001	2001-2002	2002-2003
1- लैब एरिया के विद्यालयों का सर्वेक्षण एवं अनुश्रवण	1. विकास खण्ड स्तरीय सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अन्तरिम मूल्यांकन अवधि- 4-6-2001 से 13-8-2001 तक अवधि - 11-9-2001 से 18-9-2001 तक	विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण एवं ग्रेडिंग प्रतिमाह 4 विद्यालय (प्रति ब्लॉक)
2- विभागवार वार्षिक कैलेण्डर का निर्माण	2. शैक्षिक शोध विधियों- कार्यशाला तीन दिवसीय अक्टूबर 2001, प्रतिभागी-20 3. स्कूल विजनिंग कार्यशाला का आयोजन 4- दिवसीय 10-1-2001 से 13-1-2001 प्रतिभागी संख्या 40 4. लैब एरिया विद्यालयों का अनुश्रवण 5. विभागवार वार्षिक कैलेण्डर का निर्माण	86 संविधान संशोधन एक्ट 2002 के आलोक में 6-14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षा हेतु कार्य योजना का निर्माण। शैक्षिक शोध प्रस्ताव का प्रारूप तैयार, विषय- कक्षा शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन (प्रस्तावित) विभागवार वार्षिक कैलेण्डर का निर्माण

## जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया-मऊ द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के लिए प्रस्तावित कार्य योजना-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु जनपद मऊ में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1986 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 2 किमी० इमिलिया गांव में स्थित है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आँकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

- 1- जिला संसाधन इकाई विभाग।
- 2- सेवा पूर्व विभाग।
- 3- सेवारत विभाग।
- 4- पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।
- 5- कार्यानुभव विभाग।
- 6- शैक्षिक तकनीकी विभाग।
- 7- नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।
- 1- जिला संसाधन इकाई विभाग।

शिक्षा की वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। वे



बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का अवाहन किया जाता है। जो शिक्षा के प्रति समर्पित है और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है—

- 1— अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 2— पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
- 3— पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
- 4— कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा मोष्ठियों का आयोजन करना।
- 5— कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।
- 6— कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।
- 7— कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना:-

1- जिला संसाधन इकाई

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
1. 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम।	1. स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	1. स्वयं सेवकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	1. स्वयं सेवकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	1. स्वयं सेवकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. चयननित अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	2. आचार्य जी एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	2. आचार्य जी एवं अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	2. आचार्य जी एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	2. आचार्य जी एवं अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
3. साक्षरता के विकास के लिए गोष्ठियों का आयोजन।	3. 6से14 वय वर्ग के सभी बच्चोंको शिक्षित करने का कार्यक्रम।	3. 6से14 वय वर्ग के सभी बच्चोंको शिक्षित करने का कार्यक्रम।	3. 6से14 वय वर्ग के सभी बच्चोंको शिक्षित करने का कार्यक्रम।	3. 6से14 वय वर्ग के सभी बच्चोंको शिक्षित करने का कार्यक्रम।
4. प्रारम्भिक बाल देख-रेख तथा शिशु शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आँगन बाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण।	4. साक्षरता के विकास के लिए गोष्ठियों का आयोजन।			5. प्रारम्भिक बाल देख-रेख तथा शिशु शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण।

## 2. सेवा पूर्व विभाग

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
1. शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।	1.बी.टी.सी.संस्थागत (प्रथम वर्ष) का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	1.बी.टी.सी.संस्थागत (द्वितीय वर्ष) का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	1.बी.टी.सी.संस्थागत (द्वितीय वर्ष) का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	1.बी.टी.सी.संस्थागत (द्वितीय वर्ष) का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।
2. आचार्यजी / अनुदेशको का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।	2.बी.टी.सी. पत्राचार शिक्षकों का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	2.बी.टी.सी. पत्राचार शिक्षकों का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	2.बी.टी.सी. पत्राचार शिक्षकों का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	2.बी.टी.सी. पत्राचार शिक्षकों का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।
3. शिक्षा मित्रों का 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	3. बी.टी.सी. संस्थागत / पत्राचार प्रशिक्षणार्थियों के लिए 10 दिवसीय फल संरक्षण कार्यशाला का आयोजन।	3. बी.टी.सी. संस्थागत प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	3. बी.टी.सी. संस्थागत प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।	3. बी.टी.सी. संस्थागत प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य।
	4. शिक्षामित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।	4. शिक्षामित्रों का 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	4. बी.टी.सी. संस्थागत / पत्राचार प्रशिक्षणार्थियों के लिए 10 दिवसीय फल संरक्षण कार्य शाला का आयोजन।	4. शिक्षामित्रों का 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
	5. आचार्य जी / अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।	5. शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।	5. शिक्षामित्रों का 15 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	

1. बी.टी.सी. संस्थागत तथा पत्राचार के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण में कक्षा शिक्षण, बहु कक्षा शिक्षण, टी.एल.एम. निर्माण एवं प्रयोग श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग सर्वे तथा क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी कार्यों में प्रभावी निर्देशन प्रदान किया जायेगा।
2. शिक्षा मित्रों / आचार्यजी एवं अनुदेशक प्रशिक्षण में कक्षा शिक्षण टी0एल0एम0 निर्माण तथा क्रिया-कलाप आधारित रुचिपूर्ण शिक्षण टी.एल.एम. निर्माण तथा क्रिया-कलाप आधारित रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
3. शिक्षा मित्रों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में शिक्षण कार्य में अनुभूत कठिनाइयों तथा उनके निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
4. बी.टी.सी. संस्थागत / पत्राचार, शिक्षामित्र / आचार्यजी एवं अनुदेशको के प्रशिक्षण में स्काउट / गाइड का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

### 3— सेवारत विभाग

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीक ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। एक अध्यापक प्रभावशील शिक्षक होने के लिए नियमित रूप के अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थित दक्षता को बढ़ाना होगा। जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है। उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई-नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों समय-समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई-नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवापूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजना।

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
1. विज्ञान एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	गणित, विज्ञान, एवं भाषा, पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।	गणित, विज्ञान, कला, अंग्रेजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमिनार।	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक, शिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी।	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारिणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

## 4. कार्यानुभव विभाग

1. रोजगार परक शिक्षा बनाना।
2. श्रम के प्रति अभिप्रेरण प्रदान करना एवं श्रम करने वालों के प्रति आदर की भावना जागृत करना।
3. श्रम के प्रति अभिप्रेरण प्रदान करना।
4. अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी सामग्री का निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न करना।
5. कर के सीखने के सिद्धान्त को प्रयोग में लाना।
6. छात्रों में सृजनात्म शक्ति एवं समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना।
7. सामूहिक कार्य करने की क्षमता का विकास करना।
8. शिक्षण कार्य को रोचक एवं बोधगम्य बनाना।
9. अल्पव्ययी सहायक शिक्षा सामग्री का निर्माण।
10. संस्थान के साज-सज्जा एवं सौन्दर्यीकरण में वृद्धि करना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभाव विभाग द्वारा वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना:-

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
छात्राध्यापकों को अल्पव्ययी सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण देना।	छात्राध्यापकों की संस्थान में शिक्षण से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्य में शिक्षित कर क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र के अध्यापकों के शैक्षणिक कार्य में मदद करने की योग्यता विकसित करना।	सेवारत अध्यापकों निर्मन्य सहायक सामग्री का पुनर्बोध-आत्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापकों का प्रशिक्षण।	फल संरक्षण का प्रशिक्षण एवं फलदार वृक्षों को लगवाना। (छात्राध्यापकों द्वारा)	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर के क्षेत्र में ले जाना ताकि वे अपने क्षेत्र में शैक्षणिक एवं क्रियात्मक कार्य को सम्पादित करें।

## 5-शैक्षिक तकनीकी विभाग

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों को आमंत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवक्ता सम्बर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजना-

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण।	शिक्षामित्रों, छात्रा-ध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षकों द्वारा श्रव्य दृश्व सामग्री का निर्माण।	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पव्ययी सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण सेवारत छात्राध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण।	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पदाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण।	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पदाम की सहायक सामग्री के निर्माण।

नोट:- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगे।

## 6—पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग—

पाठ्यक्रम शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु उसकी मानसिक योग्यता परिवेशीय आवश्यकताएँ, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल है। सतत् एवं व्यायक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजना—

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सततरूप से होगा।	प्राइमरी, उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम के नैतिक मूल्यांकन का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यांकन समानता, लोकतन्त्र, लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	गठित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगे।

## 7-प्रबन्धन एवं नियोजन विभाग

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रबन्धन एवं नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्ययोजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाइयों का वृहद कार्य का नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन करना।	ई.एम.आई.एम. की कार्य प्रणाली को विधिवत जानकारी कराने के बाद कार्यरूप देना जिसमें वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम	नियोजन एवं प्रबन्धन के लिए किये गये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रबन्धन एवं नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2002-07 तक उर्पयुक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।



गुणवत्ता संबर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका:—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल B.R.C./N.P.R.C. की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायित्व निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका:—

1. ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिए किया जाता है।
2. डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संबर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।
3. विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।
4. ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण, कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एन.पी. आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।
6. ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन कार्य।
7. ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक

योजना तैयार करना, तदनुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

8. एन.पी.आर.सी. सम्बन्धी आवश्यकताओं को समक्षन और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।
9. एन.पी.आर.सी. के फीड बैक ओर इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।
10. संकुल स्तरीय मासिक बैठको की संरचना कार्यसूचि अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हों।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका—

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र विन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयको का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयको द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते है।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों/कार्यशाला का आयोजन करना।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई.आई.एस. आँकड़ों का संकलन कार्य।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।

4. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को वॉछित सहयोग प्रदान करना।
6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।
7. अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनकी मदद करना।
8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।
9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।
10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।
11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य।

#### सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्राथमिक स्तर पर)–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) से आच्छादित जनपद मऊ कार्यक्रम के तृतीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 2000 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर पर चिन्हित किया गया। उनका प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट मऊ में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जनपद मऊ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के आवश्यक अंशों के साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित किया गया जो कि समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल 'साधन' का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।
2. शिक्षक कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति समक्ष विकसित करना।
3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाइयों को समझाना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाइयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाना।
4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।
5. वंचित वर्ग विशेष कर बलिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

6. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।
7. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।
8. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।
9. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चे में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना।
10. गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।
11. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।
12. बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगत सामग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं सम्भावनायें।
13. शिक्षा के सार्वजनी करण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।
14. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।
15. बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।
16. शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र 'साधन' की अद्यतन स्थिति:—

कुल शिक्षक संख्या	3185
(शिक्षा मित्रो सहित)	
प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	3139
अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या —	46

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए आयोजित किये जा रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भाँति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था—

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक को अत्यन्त महत्पूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया, मऊ के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिए जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं

का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसी समस्याएँ जिनका निदान नहीं हो पाता, एन.पी.आर.सी/बी.आर.सी. स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्याएँ तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी.आर.सी. समन्वयकों की मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डायट सहाय सदस्यों निरीक्षक वर्ग बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

**सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव:—**

जनपद मऊ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण 'साधन' माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बी. आर.सी./एन.पी.आर.सी समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनमें प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षणकार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

**प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण:—**

जनपद मऊ में एन.पी.आर.सी. समन्वयको के 92 सृजित हैं जिनमें से मात्र 69 में समन्वयक कार्यरत है जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/15-5-01-346/2001 दिनांक 11-7-2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या -9.2

क्र.स.	कक्षा	विषय	बालाको की संख्या			बालिकाओ की संख्या		
			एम.एल.एल.	दक्षता	एम.एल.एल., प्राप्त नहीं कर सके।	एम.एल.एल.	दक्षता	एम.एल.एल. प्राप्त नहीं कर सके।
1-	2	भाषा	6.5	63.3	3.7	8.1	59.3	3.9
2-	2	गणित	13.28	57.06	7.63	16.91	47.06	12.01
3-	5	भाषा	37.0	18.8	17.4	34.7	13.6	21.4
4-	5	गणित	24.1	19	35.1	23.8	15.4	42.0

स्रोत: मध्यावधि सर्वे रिपोर्ट

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण 2003 के आधार पर शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति:-

डी0पी0ई0पी0-III लागू होने के ढाई वर्ष बाद कराये गये मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा-2 भाषा में 3.78% बालक तथा 3.9% बालिकाएं एवं कक्षा-2 गणित में 7.63% बालक एवं 12.01% बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं। तथा कक्षा - 5 भाषा में 17.4% बालक एवं 31.4% बालिकाएं तथा कक्षा-5 गणित में 35.1% बालक एवं 42.0% बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा-2 व 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि निम्न प्राप्त हुई है।

1. कक्षा-2 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः 83.21% एवं 76.57% है।
2. कक्षा-5 के छात्रों की भाषा एवं गणित में उपलब्धि क्रमशः 59.46% एवं 52.05% है।



3. कक्षा-2 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 83.6% एवं 82.89% है।
4. कक्षा-2 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 79.18% एवं 74.31% है।
5. कक्षा-5 भाषा में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 60.85% एवं 58.10% है।
6. कक्षा-5 गणित में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 53.59% एवं 50.55% है।
7. कक्षा-2 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।
8. कक्षा-5 भाषा एवं गणित दोनों विषयों में आधार भूत सर्वेक्षण की अपेक्षा मध्यावधि सर्वेक्षण में उपलब्धि में वृद्धि हुई है।

### सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य:-

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद मऊ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है:-

1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
3. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा-5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा-8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
5. गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
6. बालक-बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।
7. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
8. शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहाँ बाल विकास परियोजनाएँ नहीं चल रही हैं। वहाँ विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T.

S-Systematic

A-Approach

T-Training

I-Identification (पहचान)

2. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
3. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा-5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा-8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
5. गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
6. बालक-बालिकाओं तथा-समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।
7. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
8. शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चल रही हैं। वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T.

S-Systematic

A-Approach

T-Training

I-Identification (पहचान)

N-Need (आवश्यकता)

D-Desigining & Planning (डिजाइनिंग एवं योजना)

I-Implemintation (क्रियान्वयन)

A-Assessment (मूल्यांकन)

तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियां तय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी०आर०सी० स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से

प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।

### प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण:—

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहु कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक-एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत् है:—

1. विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।
2. बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण।
3. मैटेरियल मेले का आयोजन।
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों 10 दिवसीय का सेवारत प्रशिक्षण:

वर्ष	प्राइमरी	सेवारत उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002-03	—	396	80	316800.00
2003-04	417	990	—	1125600.00
2004-05	3250	990	—	—
2005-06	3250	990	—	—
2006-07	3250	990	—	—

2. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के टी0एल0एम0 का प्रशिक्षण:—

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002-03	—	396	500	198000.00
2003-04	417	990	—	703500.00
2004-05	3550	990	—	—
2005-06	4000	990	—	—
2006-07	4500	990	—	—

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट के ब्लाक सेन्टर द्वारा किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक एक माह के अंतराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है :—

1. न्याय पंचायत केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिसमें ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डाइट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

2. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों से सम्बन्ध तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर, लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2. डाइट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीने में आयोजित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवें वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण:—

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संबर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।



सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
कार्यशाला / सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	1. आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. रोरस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
अपर प्राइमरी	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण मूल्यांकन
	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आकलन पर)	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु।	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण का प्रभाव का आकलन	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन

	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी0आर0सी0 / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता

## विशेष प्रशिक्षण:—

- 1— कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण ।
- 2— लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण ।
- 3— नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी ।
- 4— स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण ।
- 5— सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण ।
- 6— व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण ।
- 7— समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण ।
- 8— शिक्षा मित्र / आचार्य जी प्रशिक्षण ।
- 9— समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण ।

## कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण:—

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा ।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र / छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेंगे ।

## लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण:—

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी०आर०सी० स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

स्कूल प्रबन्धन की शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओं द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्र

गान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा। शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण जनपद में भयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रों के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय अधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण:—

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण:—

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में आशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज में 6-8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित

किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य पर किया जायेगा। बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयकों की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी०ई०सी०ई० के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण:—

विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पाँच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी०आर०सी०./एन०पी०आर०सी० वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण:—

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ-साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल कलस्टर डवलपमेंट एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से यूमेन्स मेन्स ग्रुप मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग:—

भारतीय संविधान के 86 वे संविधान संशोधन में प्रारम्भिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है तथा विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को विशेष

अधिकार दिये गये हैं। जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये या कम से कम साक्षर तो हो जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रख कर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागित सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्राधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/जन जाति के अभिभावकों, विकलांगों बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ-साथ विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यों के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह (बी०आर०जी०) तथा जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मिलिया मऊ के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) के सदस्यों का चार दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण

शिविर में प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय प्रिया भवन निशासंगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जगह की स्कूल 500 ग्राम शिक्षा समितियों में सौ प्रथम एवं द्वितीय चक्र में 320 ग्राम शिक्षा समिति में एक प्रशिक्षण कार्य के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

1. मनुष्य के अन्तर्गत ग्राम समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण माड्यूल के परसुचितकरण।
2. ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।
3. प्रतिभागिता उपायन क्षेत्र एवं क्षेत्र राष्ट्रीय शैक्षिक अभियान एवं अभिप्रेरण अभ्यास।
4. समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य।
5. गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।
6. लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल (ग्राम शिक्षा समिति संकाय एवं प्रयास) के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन (माइको प्लानिंग) तथा स्कूल मानचित्रण (स्कूल मैपिंग) का कार्य किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयों क्रियाकलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिसमें स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में आशंका वृद्धि हुई है प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए समुदाय



की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिए विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिए विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों एवं वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों भाई—बहन एवं माता—पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण:—

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय:—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य

संख्या सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कक्षा कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला: 220

विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या: 160

	वर्षात्मक स्तर	द्वि-वर्षात्मक स्तर
कक्षा कार्य दिवस	220	220
विद्यार्थी दिवस	160	200
परीक्षा	10 दिन	14 दिन
कक्षा गोलियों चुनाव	30दिन	30 दिन
उपरोक्त आर्थिक गणना		
एनसीईआरटी की बैठक		
राज्य स्तर की रैली		
राज्य परीक्षा की ड्यूटी		
राज्य से सम्पर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद मऊ में उपलब्ध शिक्षण समय

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन X समय	वादन X समय
भाषा 1 हिन्दी	10 X 40	3 X 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 X 40	3 X 40
भाषा 3 संस्कृत	3 X 40	3 X 40
विज्ञान	6 X 40	3 X 40
गणित	10 X 40	3 X 40
सामाजिक विषय	5 X 40	3 X 40
बेसिक क्राफ्ट / कला	5 X 40	3 X 40
शारीरिक शिक्षा	3 X 40	3 X 40
कृषि	—	2 X 40

प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
1.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	-
2.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	-
3.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी/ गणित	अंग्रेजी/ संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
4.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यावर्णीय अध्ययन		हिन्दी/ गणित	अंग्रेजी/ संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम
5.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	विज्ञान		हिन्दी/ गणित	अंग्रेजी संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	व्यायाम

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
6.	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम
7.	हिन्दी	गणित	सा0विज्ञान	विज्ञान		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम
8.	विज्ञान	विज्ञान	गणित	सा0विज्ञान		अंग्रेजी	कृषि	संस्कृत	कला/व्यायाम

## कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन:—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने में बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1. बच्चों के सम्प्राप्ति स्तरकी स्थिति।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र / छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।
6. छात्र / छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।
7. छात्र / छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टेस्ट आइटम का निर्माण।
8. कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

## क्रियात्मक अनुसंधान:—

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पाँच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनायें और समाधान ढूँढने में सफल हो सकें।

क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है:-

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये ?
3. बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे ?
4. कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम-प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास ?
5. शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास) ?
6. बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान ?
7. बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास ?
8. शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास ?
10. अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग में न लाना ?
11. धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियाँ खोजना?
12. उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।
13. बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।
14. प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।
15. विद्यालय परिसर के दुरुपयोग की समस्या।
16. अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।
17. छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18. मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।
19. अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।
20. छात्रों की अनियमित उपस्थिति।
21. छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।
22. गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।
23. दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

### शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली:—

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है, इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डी०आई०एस०ई०) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते हैं। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली एक नवोद्घाटित आयाम है।

ई०एम०आई०एस० द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ई०एम०आई०एस० आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उसमें निष्कर्षों को निकालने सम्बन्धी पाँच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगे।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण एवं व्यवस्था करके जो मुद्दे उभरेगें उनकी ध्यान में रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगी।

**मूल्यांकन प्रणाली:—**

छात्रों के मासिक वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा-5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एवं कक्षा-6 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एसवव व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।



सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट /बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सकें।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना:—

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खण्ड न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढीकरण :—

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद् कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्बर्धन हेतु निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) :-

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्य शालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के अधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी। जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ती कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्था:-

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों, न्याय पंचायत / ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों / डायट रंकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेष कर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारु संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति का स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रुपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियां इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पठन-पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक अध्यापक को 5000.00 रुपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी०आर०सी० को एवं प्रत्येक विकास खंड के एक एन०पी०आर०सी० को 10,000.00 एवं 7000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा। डायट/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर:-

वर्ष 2003-2004

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3.	शिक्षा मित्र आचार्यजी प्रशिक्षण	30 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 5.  | ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण                            | 7 दिन  |
| 6.  | बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण                                | 5 दिन  |
| 7.  | ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण  | 3 दिन  |
| 8.  | कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण                               | 15 दिन |
| 9.  | अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण                 | 8 दिन  |
| 10. | नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण                                      | 4 दिन  |
| 11. | ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण  | 5 दिन  |
| 12. | विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण                                 | 8 दिन  |
| 13. | गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण                                    | 8 दिन  |
| 14. | वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला                                 | 2 दिन  |
| 15. | व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला  | 3 दिन  |
| 16. | समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच<br>अतः सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला | 5 दिन  |
| 17. | टी0एल0ए10 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)                             | 3 दिन  |

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास:—

डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षकों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।—

1. समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

3. लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।
6. क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपन विजन:—

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक सेन्टर की भूमिका रही हैं। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक सेन्टर में परस्पर लिकेजेजे बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर संभव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्बर्धन तथा शिक्षकों को शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी०आर०सी० द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्य करेंगे प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा निष्पत्तीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में असाशकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इण्टर

कालेज में कक्षा 6 से 8 पढाने वाले शिक्षकों को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन विद्यालय के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्बर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिकेजेज बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

**शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान:-**

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षा मित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी०एल०एम०) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिए प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रूपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी०एल०एम० अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002-2003 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों नवीन विद्यालय के

शिक्षकों/शिक्षा मित्रों को वर्ष 2002-03 से टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा।

टी0एल0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा।

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षामित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002-03	—	398
2003-04	417	990
2004-05	3550	990
2005-06	4000	990
2006-07	4500	990

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ का सुदृढीकरण:

डायट मऊ में डायट का प्रशासनिक भवन तथा पुरुष/महिला छात्रावास डायट की स्थापना के समय निर्मित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकेडमिक प्रशिक्षण कक्ष डारमेटरी प्राचार्य आवास की आवश्यकता है।

डायट के कक्षा कक्ष के लिए 200 मेज 200 कुर्सी छात्रावास के लिए 100 गद्दा, 100 बेडशीट तथा तकिया की आवश्यकता है। कार्यक्रमों की टेली कान्फ्रेंसिंग के लिए एक बड़े 73 सेमी0 रंगीन टी0वी0 बी0सी0आर0 के साथ उपलब्ध है। संस्थान में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर रूम नहीं है। संस्थान में कम्प्यूटर कक्षा के लिए एक डाट मेटिक्स प्रिन्टर एवं एयर कन्डीशनर की आवश्यकता है। पुस्तकालय सुदृढीकरण हेतु आलमारी और फर्नीचर की आवश्यकता है।

डायट सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित बजट

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	2.00
2.	समकक्ष का निर्माण	2.00
3.	पुताई, रंगाई, सुधार, मरम्मत आदि योग	2.00
उपकरण साज-सज्जा		
1.	कम्प्यूटर्स वर्क्स स्टेशन	6.00
2.	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर	0.50
3.	वाटर कूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन ए0सी0	2.00
	योग	8.50
अन्य मद		
1.	संस्थान की बाउन्ड्री	10.00
2.	जलापूर्ति हेतू पाइप की मरम्मत	1.00
3.	ड्राइवर हेतु वेतन	1.00
	योग	12.00
आर्वतक प्रतिवर्ष		
1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2.	कार्यशाला / सेमिनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कन्टीजेन्सी	1.00
5.	वाहन रखरखाव एवं पी0ओ0एल0	0.50
	योग	9.50



सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता संवर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं आकलन करते हुए निम्नलिखित

प्राविधान किये जायेंगे—

सारणी संख्या — 9.3


क्र.सं.	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1.	फर्नीचर/कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	60	
2.	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन मेन्टेनेन्स	50	
3.	वाहन	—	
4.	किराये का वाहन	25	
5.	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रखरखाव	80	
6.	सेमिनार	200	
7.	शोध/क्रियात्मक शोध	200	
8.	एक्सपोजर विजिट	50	
9.	पुस्तकालय	25	
10.	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	84	
11.	ड्राइवर का वेतन	48	
12.	कंज्यूमेबिल/कम्प्यूटर स्टेशनरी	20	
13.	आनुषंगिक व्यय	50	

## परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 से वर्ष 2007 की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है। परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोक तांत्रिक होगा और इससे सह अपेक्षा होगी कि ये अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा और परिवर्तन भी सह भागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जबाबदेही, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

### प्रबन्ध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली

सर्व शिक्षा के समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्यक्रम के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु, उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों की अवधि प्रवाह प्रदान करने और सृजनात्मक विधियों के साथ प्रवेश की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तंत्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है।



## संगठन ढांचा—नीति निर्धारण

### ग्राम शिक्षा समिति:—

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सत्यापन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं।

समिति का स्वरूप निम्नवत् है:—

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा। सचिव
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के 3 संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। सदस्य

अधिकार एवं दायित्व:-

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी।

- (क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना।
- (ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।
- (ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।
- (घ) बेसिक स्कूलों और उनके भवनों और उनके उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना
- (ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाय।
- (च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाय लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
- (छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाय।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है। जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि

विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा। ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्ययित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना के केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकल्प इसी समिति का अधिकारी एवं दायित्व है। शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का विवरण पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

### न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०)

इस जनपद की सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और भी सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

### कार्य एवं दायित्व:-

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमी निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों की गुणवत्ता के सुधार, निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

### क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति:-

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है। जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम

निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायित्व होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं।

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य	सदस्य
4.	विकास खण्ड का वरिष्ठतम प्र0अ0	सदस्य

#### अधिकार एवं दायित्व:—

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई के लिए आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

#### प्रशासनिक संगठन : ब्लाक स्तर

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे- तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों ब्लाक संसाधन केन्द्र,

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना और सांख्यिकीय की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व प्रमुख होंगे।

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक करना एवं उसके निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार के छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना एवं सूचना एकत्रित करना।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना।
8. विद्यालय में अध्ययनरत अनु० जाति/जन जाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना एवं गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों की नियुक्तियाँ सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में ही आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि 18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड (उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है) उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायक हेतु एक बी0आर0सी0 सह-समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड में संसाधन केन्द्र में नियुक्त होगा।

**ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)**

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र संचालित हो चुका है और सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित कराये जायेंगे। यहां एक समन्वयक तथा दो सह-समन्वयक नियुक्ति किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं।

शैक्षिक गुणवत्ता समवर्धन एवं समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रिकीकरण एवं विश्लेषण में व्यतीत होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर एवं एक आपरेटर के साथ सुदृढीकरण करने की योजना है। इसके लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा



रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

### कार्य एवं दायित्व

1. अध्यापकों को सभी नवीकरण प्रशिक्षण प्रदान कराना।
2. विद्यालयों का एकेडेमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है या नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडेमिक की आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर एकेडेमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वयक स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्ती वार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी से समय-समय पर एकत्रीकरण एवं सैम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

### जनपद स्तरीय समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्र. के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है, जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति का गठन निम्नवत् है:-

- |    |                     |           |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | जिलाधिकारी          | अध्यक्ष   |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |

3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	प्राचार्य डायट	सदस्य
5.	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)	सदस्य
8.	अधिकासी अभियन्ता (आर0ई0एस0)	सदस्य
9.	अधिकासी अभियन्ता (पी0डब्लू0डी0)	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	दो शिक्षा विद् (विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
12.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिए)	
13.	दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	
14.	स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	

### जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकारी एवं दायित्व

इ समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर कार्य गुणवत्ता में सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश धारण, गुणवत्ता सर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इसी

समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

### जिला बेसिक शिक्षा समिति

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है। जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रखा जाएगा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

### प्रशासनिक तन्त्र—जिला परियोजना कार्यालय

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदस्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे:—

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस०/ए० आई०ई०)	1. प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	5 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	स्ताहकार	2, रू० 10,000/— नियत वेतन पर
5.	ई०एम०आई०अधिकारी	1, रू० 10,000/— प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सहायक	सांख्यिकी 3, रू० 7000/— प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
7.	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8.	लेखाकार	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
9.	आशुलिपिक	1 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
10.	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
11.	परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

जनपद में कार्यों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जिला समन्वयकों एवं कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर तथा सम्बन्धित स्टाफ को सर्वशिक्षा अभियान में समायोजित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त में से उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के सस्टनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ को यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

### निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है। मानदेय की दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रथमतः उसी दर का भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु ₹० 100/- प्रति अतिरिक्त कक्षा-कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु ₹० 500/- प्रति शौचालय हेतु ₹० 200/- की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालयों के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में

सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं की मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर अधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

### एजुकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई०एम०आई०एस०)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सृष्ट एवं क्रियाशील एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम०आई०एस० डाटा कैप्चर प्रणाली एवं प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्ड वेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटा वेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चकृत करने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अत्याधिक एवं उपयुक्त ई०एम०आई०एस० तथा प्रोजेक्ट मानरिटिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर को औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना की प्रति वर्ष शैक्षिक सांख्यिकी व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराईज ई०एम०आई०एस० की संचालनार्थ एम०आई०एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आरेटर्स/सांख्यिकीय सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा रिपोर्ट व विशेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्वयं के ई०एम०आई०एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इनडीकेटर पर रिपोर्ट तैयार कर सर्वोत्तम रूप से जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित कर सकेगा। जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

## ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:

1. विद्यालयों हेतु सांख्यिकीय प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
2. समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
3. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रिकरण कराना।
4. भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
5. समयवद्ध रूप से दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
6. संकुलवार व विकास खण्ड वार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक जिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
7. सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकीय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना।
8. माईक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत/प्रेषित करना। ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकीय विश्लेषण, पर्यवेक्षण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

## प्रशिक्षण

विद्यालय सांख्यिकीय सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, ज्ञान अध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय

सम्बन्धी आंकड़ों के 02 प्रतिशत सैम्पल चेकिंग के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर) पर यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक, सभी स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर) यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उपविद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक / सह-समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।
3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर) यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक / सह-समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्र0अध्यापक प्रतिभाग करेंगे।
4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर) एस0पी0ओ0 / सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा। आंकड़ों का एक्त्रीकरण तथा शुद्धता की जांच—

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकीय प्रपत्र उपलब्ध हो गया है। जिस पर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रति वर्ष विद्यालयों से भरे प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधान अध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधान अध्यापक को यह जानकारी हो सकेगी उनके द्वारा जो त्रुटि भ्रम कर भेजी गयी थी वही सही है। अप्रत्यक्ष रूप से इस सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा पर यदि कोई त्रुटि क्ली गई हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।



## आंकड़ों का उपयोग:

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राफ्टआउट दर, रिपीटीसन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिजीजन सपोर्ट सिस्टम में किया जायेगा। ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। "डायरा" के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही श्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो जाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिक से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जायेगा।

1. नवीन विद्यालयों हेतु नवीन असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की पाथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप अत्यधिक कक्षा-कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. एक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायत का चिन्हीकरण।

7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूह की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगता वार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं के सम्बन्धी विषय/क्षेत्र अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

### कोहार्ट स्टडी

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि के प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राफ्ट आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी कराई जायेगी। इसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2,00,000/- रखी गई।  
प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है। उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत (एल0ए0सी0आई0) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है। जिसे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

### जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम के दृष्टिगत रखते हुए इसको और सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना। ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
3. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सम्बन्धित को उपलब्ध कराना। ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
4. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना उनके परिणामों का विश्लेषण करना आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना।
5. ब्लाक संसाधनों केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
6. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित तथा स्वैच्छिक कार्यों में नियोजन करना।

7. जिले स्तर पर एकेडमी संसाधन-समूह का गठन करना।
8. न्यूनतम अधिगम स्तर पर सुनिश्चित करना और इसके लिए वेसलाईन सर्वे करना।
9. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
10. शैक्षिक आंकड़ों (ई०सी०सी०ई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।


### निधि का हस्तान्तरण (फ्लो आफ फण्ड)

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० को उपलब्ध कराई जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यमों से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा। जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रति निधानित है। अतः रू० 5000 मूल्य से अधिक से सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी के अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता

खुला है। जिसका परिचालन उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परवेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं। जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे। कदापि सर्व शिक्षा अभियान में रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धक प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों के अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यता राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रय मासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

#### फन्ड फ्लो डायग्राम



उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परियोजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतन्त्र सम्प्रेक्षण। (इन्डिपेन्डेंट आडिट) चाटर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद

प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्मस आफ रिफरेंस फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे क्त सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आन्तरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

### मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी०आर०सी० समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकों आयोजित की जायेगी। जिसमें योजना कार्यों की सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी। इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठकें आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परिजाना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा। प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूराईज्ड पी०एम०आई०एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई०एम०आई०एस० डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना।</li> <li>• बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।</li> </ul>
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	<p>भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु।</p> <p>➤ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है।</p> <p>अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।</p>
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना।</li> <li>2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।</li> </ol>
7.	युवा कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना।</li> <li>2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु</li> </ol>

# ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

## District - MAU

		Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-		Total Proposals		(Rs. In Thousand)	
Head		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	Remark
2		7	8	9	10	11	12	13	14
<b>(I) BRC</b>									
1	Asst. Eoordinator (1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/Fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travelling Allowance & Meeting			6.00	9	54.00	9	54.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	9	45.00	9	45.00	
7	Contegency			12.50	9	112.50	9	112.50	
<b>TOTAL BRC</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>211.50</b>	
<b>(II) CRC</b>									
8	Furniture/Fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Coordinator @ 12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	92	92.00	92	92.00	
11	Contegency			2.50	92	230.00	92	230.00	
12	Meeting & TA			2.40	92	220.80	92	220.80	12 Month
<b>TOTAL CRC</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>276</b>	<b>276</b>	<b>542.80</b>	
<b>(III) CIVIL WORKS</b>									
13	New Primary School			259.00	18	4662.00	18	4662.00	Soill. Handpump
14	New Upper Primary School	21	1428.00	280.00	99	27220.00	120	29148.00	Soill. Handpump
15	Additional Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additional Classrooms UPS			70.00	17	1190.00	17	1190.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	9	90.00	9	90.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	3	1149.00	3	1149.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplanning			250.00	0	0.00	0	0.00	
<b>TOTAL Civil Works</b>		<b>21</b>	<b>1428.00</b>		<b>116</b>	<b>34811.00</b>	<b>167</b>	<b>36239.00</b>	
<b>(IV) EGS (.845*25*No. of EGS Centres)</b>									
<b>TOTAL EGS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>(V) AIE</b>									
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	27	972.00	27	972.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	92	3109.60	92	3109.60	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
<b>TOTAL AIE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120</b>	<b>4261.60</b>	<b>120</b>	<b>4261.60</b>	
<b>TOTAL EGS/AIE</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>120</b>	<b>4261.60</b>	<b>120</b>	<b>4261.60</b>	
<b>(VI) FREE TEXT BOOKS</b>									
34	Free Text Books PS			0.05	8628	431.40	8628	431.40	
35	Free Text Books UPS			0.15	36902	5535.30	36902	5535.30	
<b>TOTAL Text Book</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>45530</b>	<b>5966.70</b>	<b>45530</b>	<b>5966.70</b>	
<b>(VII) IED</b>									
<b>TOTAL IED</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1488</b>	<b>1785.60</b>	<b>1488</b>	<b>1785.60</b>	
<b>INNOVATIVE ACTIVITIES</b>									
<b>TOTAL Computer Education</b>					0	5000.00	0	5000.00	
<b>TOTAL ECCC</b>					0	0.00	0	0.00	
<b>TOTAL Girls Education</b>					0	0.00	0	0.00	
<b>TOTAL SC. ST Intervention</b>					0	0.00	0	0.00	
<b>TOTAL Innovative Activities</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>5000.00</b>	<b>0</b>	<b>5000.00</b>	
<b>(XII) MAINTENANCE</b>									
57	P.S.			5.00	816	4080.00	816	4080.00	
58	U.P.S.			5.00	136	680.00	136	680.00	
<b>TOTAL Maintenance</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>952</b>	<b>4760.00</b>	<b>952</b>	<b>4760.00</b>	
<b>(XIII) DPO</b>									
<b>Management Cost</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1720.00</b>	<b>0</b>	<b>1720.00</b>	
<b>(XIV) RESEARCH, MONITORING &amp; EVALUATION</b>									
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	157	219.80	157	219.80	
<b>TOTAL Research, Monitoring &amp; Evaluation</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>157</b>	<b>219.80</b>	<b>157</b>	<b>219.80</b>	
<b>(XV) SCHOOL GRANT</b>									
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	21	42.00	21	42.00	
74	School Improvement Grants UPS @ 2			2.00	257	514.00	257	514.00	
<b>Total School Grant</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>278</b>	<b>556.00</b>	<b>278</b>	<b>556.00</b>	



# ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

## District - MAU

(Rs. In Thousand)

Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-		Total Proposals		Remark	
	Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical		Financial
2	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>(I) SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)</b>						0	0.00	
Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	63	7560.00	63	7560.00	12 Months
Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	12 Months
<b>TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-03)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>63</b>	<b>7560.00</b>	<b>63</b>	<b>7560.00</b>	
<b>(II) SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)</b>						0	0.00	
Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	18	972.00	18	972.00	6 Months
Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	297	17820.00	297	17820.00	6 Months
Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
Salary of Fresh SM (PS)			2.25	18	243.00	18	243.00	6 Months
Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	446	6021.00	446	6021.00	6 Months
<b>TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-04)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>779</b>	<b>25056.00</b>	<b>779</b>	<b>25056.00</b>	
<b>TOTAL TEACHERS' SALARY</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>842</b>	<b>32616.00</b>	<b>842</b>	<b>32616.00</b>	
<b>II TEACHER GRANT (TLM)</b>						0	0.00	
Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	165	82.50	165	82.50	
Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1518	759.00	1518	759.00	
<b>TOTAL Teacher Grant</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>1683</b>	<b>841.50</b>	<b>1683</b>	<b>841.50</b>	
<b>(I) TEACHING LEARNING EQUIPMENTS</b>						0	0.00	
TLE PS @10			10.00	18	180.00	18	180.00	
TLE UPS @50	21	1050.00	50.00	99	4950.00	120	6000.00	
TLE UPS @50 Not covered under OBB	51	2550.00	50.00		0.00	51	2550.00	
<b>TOTAL Teaching Learning Equipments</b>	<b>72</b>	<b>3600.00</b>		<b>117</b>	<b>5130.00</b>	<b>189</b>	<b>8730.00</b>	
<b>TEACHER TRAINING</b>						0	0.00	
Induction Training of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	18	37.80	18	37.80	
In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	128	179.20	128	179.20	
Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	618	648.90	618	648.90	
<b>TOTAL Teacher Training</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>764</b>	<b>865.90</b>	<b>764</b>	<b>865.90</b>	
<b>STRENGTHENING OF VEC</b>						0	0.00	
VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
<b>TOTAL Strengthening of VEC</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>EMIS CELL</b>						0	0.00	
<b>TOTAL EMIS Cell</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			<b>244.00</b>	<b>0</b>	<b>244.00</b>	
<b>STRENGTHENING OF DIET</b>								
<b>TOTAL DIET</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>5028.00</b>			<b>99532.40</b>		<b>104560.40</b>	







